वित्तीय शिक्षण

अभ्यास पुस्तिका

नवीं कक्षा

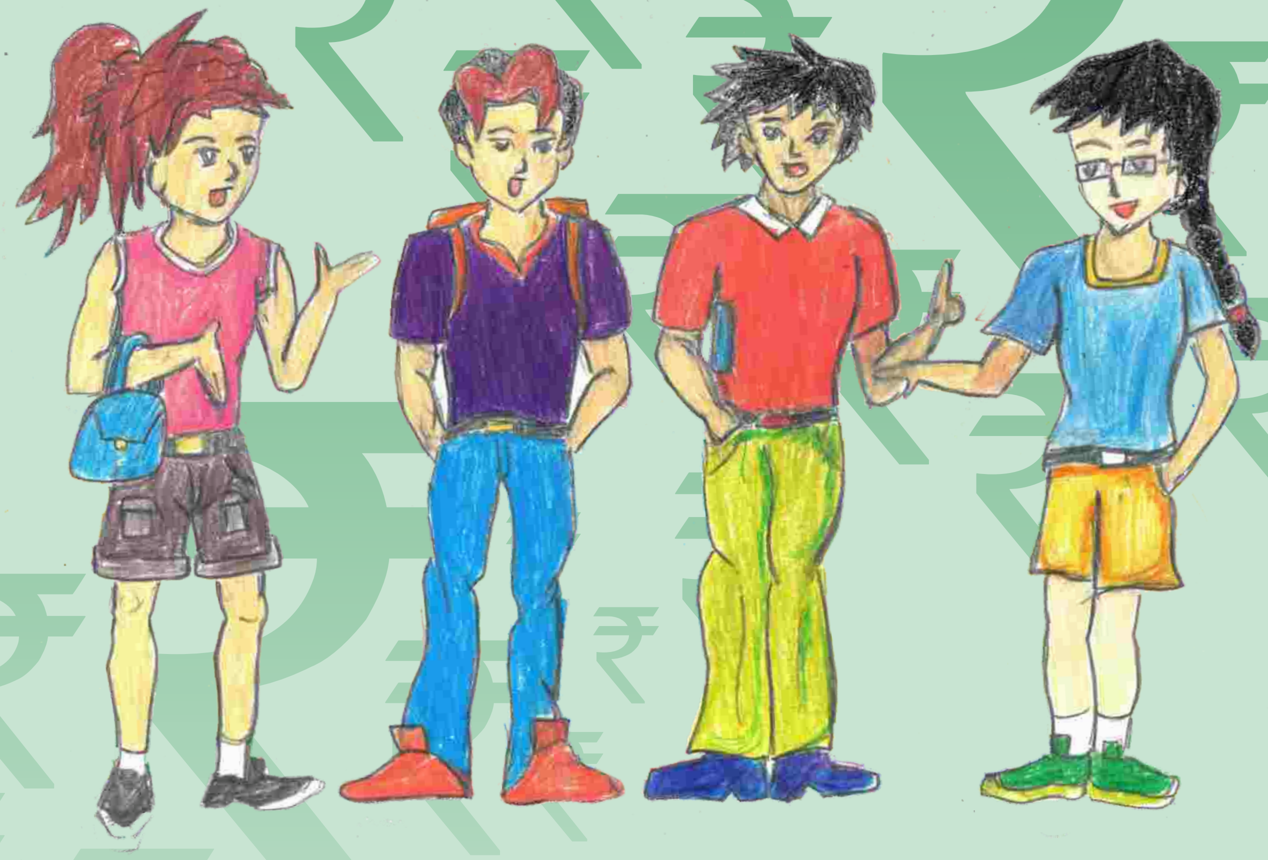

वित्तीय शिक्षण अभ्यास पुस्तिका - नवीं कक्षा हेतु
प्रारूप संस्करण

स्पष्टीकरण

यह पुस्तक पाठक को वित्तीय मामलों के संबंध में साक्षर बनाने के निस्वार्थ प्रयोजनार्थ, अध्ययन एवं अध्यापन के लिए प्रस्तुत की जा रही है। किसी वित्तीय उत्पााद/उत्पादों या सेवा/सेवाओं के संबंध में कोई निर्णय लेने में, पुस्तक की किसी विषय—वस्तु से पाठक को प्रभावित करने का कोई इरादा नहीं है।

प्रकाशकः सचिव, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
शिक्षा केंद्र, 2, सामुदायिक केंद्र
प्रीत विहार, दिल्ली—110301

रूपरेखा, अभिन्यास एवं मुद्रण : राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण केंद्र हेतु
राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान
भूखण्ड सं. 82,सेक्टर 17, वाशी, नवी मुंबई—400703
फोन :+9122-66735100 | फैक्स :+9122-66735110

वेबसाइट : ncfeindia.org

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण [1]प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिए
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा
[2]और राष्ट्र की एकता और अखंडता
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई॰ को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977) से "प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977) से "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

भाग 4 क

मूल कर्त्तव्य

51 क. मूल कर्त्तव्य – भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह –

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;

(ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे;

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं;

(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे;

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे;

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई उंचाइयों को छू ले;

[1](ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिये शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

1. संविधान (छयासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a [1]**SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC** and to secure to all its citizens :

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the[2] unity and integrity of the Nation;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do **HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.**

---

1. Subs, by the Constitution (Forty-Second Amendment) Act. 1976, sec. 2, for "Sovereign Democratic Republic" (w.e.f. 3.1.1977)
2. Subs, by the Constitution (Forty-Second Amendment) Act. 1976, sec. 2, for "unity of the Nation" (w.e.f. 3.1.1977)

THE CONSTITUTION OF INDIA

Chapter IV A

FUNDAMENTAL DUTIES

ARTICLE 51A

Fundamental Duties - It shall be the duty of every citizen of India-

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;

(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;

(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;

(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;

(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;

(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;

(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wild life and to have compassion for living creatures;

(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;

(i) to safeguard public property and to abjure violence;

(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;

[1](k) who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his/her child or, as the case may be, ward between age of 6 and 14 years.

---

1. Subs. by the Constitution (Eighty - Sixth Amendment) Act, 2002

भूमिका

छठी से दसवीं कक्षाओं के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वित्तीय शिक्षण पाठ्यक्रम की विशेषता उसकी सशक्त गतिशीलता, सतत् विकास और उन्नयन है। इस पाठ्यक्रम की रचना कार्यमूलक दृष्टिकोंण को अपनाते हुए की गई है। मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के मौजूदा परिवेश में समाज, विस्फोटक ज्ञान–सृजन और घातांक रफ्तार से बढ़ती हुई तकनीक से प्रभावित होता है।

आधारभूत वित्तीय अवधारणाओं की अपनी समझ को बेहतर बनाने और अपने दैनिक जीवन में इन अवधारणाओं का समुचित उपयोग करने के लिए हमें वित्तीय शिक्षण की आवश्यकता है। हमें विभिन्न वित्तीय उत्पादों को जानने और वित्तीय जोखिमों एवं अवसरों से अधिकाधिक परिचित रहने की जरूरत है ताकि हम सभी सुविज्ञ निर्णय ले सकें और उसके परिणामस्वरूप अपने वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार कर सकें।

वित्तीय शिक्षण का दर्शन यह है कि विद्यार्थी अपनी आवश्यकता के अनुरूप जीवन में धन की भूमिका, बचत की जरूरत और उपयोग, अपनी बचतों को निवेशों में रूपान्तरित करने, बीमा के माध्यम से सुरक्षा हेतु औपचारिक वित्तीय प्रणाली तथा विभिन्न विकल्पों का प्रयोग करने की समझ प्राप्त कर सकें और वे इन विकल्पों की विशेषताओं के वास्तविक महत्त्व को जान सकें।

वित्तीय शिक्षण से हमें, बचत के महत्व और उसके लाभों, ऐसे अनुत्पादक ऋणों से दूर रहने की आवश्यकता, जो हमारी चुकाने की सामर्थ्य के बाहर हों, औपचारिक वित्तीय प्रणाली से उधार लेने, ब्याज की अवधारणा, चक्रवृद्धि ब्याज के प्रभाव, धन के समय–मूल्य, मुद्रा–स्फीति, बीमा की आवश्यकता, वित्तीय क्षेत्र के प्रमुख संस्थानों जैसे मंत्रालयों, विनियामकों, बैंकों, शेयर बाजारों एवं बीमा कंपनियों की भूमिका और जोखिमों तथा पुरस्कारों के बीच संबंध की संकल्पना के बारे में अधिकाधिक जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी।

इसके माध्यम से हम विभिन्न वित्तीय विनियामकों द्वारा प्रदत्त वित्तीय उत्पादों तथा सेवाओं का समुचित मूल्याकन कर धन का कारगर ढंग से प्रबंध करके स्वयं की और दूसरों की मदद कर सकते हैं।

वित्तीय शिक्षण विशेष रूप से उन लोगों के लिए मददगार होगा जो अभी वित्तीय सेवाओं से वंचित हैं।

इस अभ्यास पुस्तिका का उद्देश्य वित्तीय सेवाओं तक पहुँच, विभिन्न प्रकार के उत्पादों की उपलब्धता तथा उनकी विशेषताओं के संबंध में विद्यार्थियों में जागरूकता उत्पन्न करना और वित्तीय सेवाओं के ग्राहक के रूप में उनके अधिकारों एवं दायित्वों को समझाना है।

यह विषय पढ़ाने वाले अध्यापकों को, अपने छात्रों को इसका लाभ देने के लिए पाठ्य–विषय के कारगर उपयोग, अध्यापन पद्धति, समूह कार्य एवं स्वतंत्र व्यक्तिगत कार्य के प्रबंधन, बड़ी कक्षाओं की व्यवस्था, मूल्यांकन प्रणाली के समुचित प्रयोग, ग्रेड प्रदान करने और अभिलेख प्रबंध के बारे में स्वयं को अवगत कराने की आवश्यकता है।

इस पुस्तक के रचना कार्य में साझीदारों – भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण तथा भारतीय पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण का, उनके बहुमूल्य समय और प्रयासों के लिए हम आभार प्रकट करते हैं।

पुस्तक का प्रस्तुतीकरण निश्चित रूप से सुश्री सुगंध शर्मा, अपर निदेशक (अनुसंधान एवं नवोन्मेष), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और श्री संदीप सेठी, शिक्षण अधिकारी एवं उनकी टीम के नेतृत्व, निष्कपट प्रयासों तथा सत्यनिष्ठा के बिना कभी संभव नहीं हो पाता। पुस्तक के संबंध में सुझावों का स्वागत है, जिन्हें आगामी संस्करणों में शामिल किया जा सकता है।

आभार

परामर्श समिति

श्री वाई. एस. के. सेषु कुमार, अध्यक्ष, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
सुश्री सुगंध शर्मा, अपर निदेशक (अनुसंधान एवं नवोन्मेष), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
श्री डी. टी. सुदर्शन राव, संयुक्त सचिव तथा प्रभारी, (शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) परामर्श समिति

श्री संदीप घोष, निदेशक, रा. प्रति. बा. सं.,
श्री जी. पी. गर्ग, रजिस्ट्रार, एनआईएसएम तथा
श्री ज्ञानभूषण, कार्यपालक निदेशक, सेबी
श्री ए. जी. दास, मु. महा प्रबं., पीएफआरडीए
श्री टी वी राव, महाप्रबंधक, भा रि बैं
सुश्री केजीपीएल रमादेवी, उपनिदेशक, भा. बी. वि. और वि. प्रा.
डा. मीनू नंदराजोग, प्रोफे., एनसीईआरटीप्रधान, एनसीएफई
श्री संदीप सेठी, शिक्षा अधिकारी, सीबीएसई
सुश्री पूनम सोढ़ी, उप सचिव, सीआईएससीई

निगरानी और संपादन बोर्ड

सुश्री शर्मिला रहेजा
डॉ. पारुल पाठक
सुश्री दिशा ग्रोवर
श्री श्रेय रहेजा
सुश्री सरीना पी. यू.
सुश्री रेशू सिंहल
सुश्री सौदामिनी अरविंद
श्री संदीप के बिस्वाल
सुश्री रेनू आनंद

विद्यालयों का दल (सामग्री उत्पादन)

केंब्रिज स्कूल, गाजियाबाद
दिल्ली पब्लिक स्कूल, गाजियाबाद
दिल्ली पब्लिक स्कूल, इंदिरापुरम, गाजियाबाद
दिल्ली पब्लिक स्कूल, मथुरा मार्ग, दिल्ली
दिल्ली पब्लिक स्कूल, श्रीनगर
दिल्ली पब्लिक स्कूल, वसुंधरा, गाजियाबाद
डीएलएफ पब्लिक स्कूल, गाजियाबाद
केसरी देवी बजाज पब्लिक स्कूल, गाजियाबाद
मॉडर्न स्कूल, बाराखंबा मार्ग, दिल्ली
एन. एच. गोयल वर्ल्ड स्कूल, छत्तीसगढ़
संस्कृत स्कूल, दिल्ली
सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल, गाजियाबाद
शिव नाडर स्कूल, नोयडा
उत्तम बालिका विद्यालय, गाजियाबाद

संकल्पना और रूपरेखा : जितेंद्र कुमार सोलंकी, एनआईएसएम
कविता : तनीशा पुरी, आर एन पोद्दार स्कूल, मुंबई
चित्रांकन : माधव गुप्ता बाल भारती स्कूल, रोहिणी, दिल्ली
लिखावट : महाराजा सवाई मानसिंह विद्यालय, जयपुर
वर्ग पहेली, उलझे शब्द , एमसीक्यू : रेशू सिंहल, अदनान कोहली, सादिक वजीर
रिया भूयान, दिव्या अग्रवाल, वेणी गुप्ता
मयंक पुगालिया, सात्विक भट्ट, अमन सुराना
संकेत शर्मा और यथार्थ श्रीधरन

विषय–सूची

विषय	प्रसंग	पृष्ठ संख्या
इतिहास 1	भाग 1 : निवेश	
	भाग 2 : वित्तीय क्षेत्र के सुधार और बीमा बाजार का खुलना	
इतिहास 2	निधियों के स्रोत	
राजनीति शास्त्र 1	पैन कार्ड और आधार कार्ड	
राजनीति शास्त्र 2	भाग। : बीमा क्षेत्र में शिकायत निवारण तंत्र भाग।। : क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड	
अंग्रेजी 1	जोखिम और बचाव	
अंग्रेजी 2	प्राकृतिक आपदाएं	
अर्थशास्त्र 1	भाग। : भारतीय रिजर्व बैंक : केंद्रीय बैंक भाग।। : बजट बनाना	
अर्थशास्त्र 2	भाग। : बैंक और ऋण भाग।। : मुद्रा स्फीति	
गणित 1	बीमा शब्दावली मुकाबला	
गणित 2	परिचय : जखिम और बीमा	

इस वर्ष मैं, आपको पेंशन, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण तथा वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के बारे में बताऊँगा।

मैं, मुनाफ, उधार लेने के लिए विभिन्न एजेंसियों, निधियों के विभिन्न स्रोतों की खोज करूँगा और आपको जोखिम और उससे बचाव के बारे में एक कहानी सुनाऊँगा।

मैं, मुद्रा, पैन कार्ड और आधार कार्ड, बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋणों के प्रकारों और मुद्रास्फीति के बारे में सीखने में आपकी मदद करूँगी।

मैं, राशि, आपको भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की भूमिकाओं और कार्यों के बारे में समझाऊँगी और डेबिट और क्रेडिट कार्ड के बारे में बताऊँगी।

विवेकसम्मत प्रबंधन

शेयर, बांड और नियत जमा हैं और संपदा स्थाई,
सोना भी है, निवेश करना – विवेकसम्मत हर पाई।
थोड़ी सी पेंशन है रखना अपना ख्याल,
करें तैयारी पूरी अपनी वृद्धावस्थास देख–सँभाल।

प्राथमिकता शेयर, ईक्विटी शेयर और डिबेंचर हैं कुछ साधन,
वित्तपोषण के लिए ये सब, एजेंसियाँ लेती उधार धन।
हम प्रसन्न हैं, निश्चिंत हैं, पास हमारे पैन कार्ड और कार्ड आधार,
आओ सीखें वित्तीय प्रबंधन और संकट में वित्तीय उपचार।

कई तरह के क्रेडिट, डेबिट कार्ड यहाँ हैं, जिनमें धारी और सितारे,
आज हैं बीमा भाँति–भाँति के एसएमएस से हमें पुकारें।
इनकी जकड़ से मुक्त कराएं, अर्थव्यवस्था
सहज बनाएं कर न सकें ये भ्रांत,
साथ हमारे आरबीआई, आईआरडीए सब मुद्दों की
बजटिंग करते, अति प्रचार को करते शांत।

एक पड़ौसी घर पर बैठे, मंदी ने जब छीना जॉब,
गई नौंकरी पापा की , था यह अर्थव्यवस्था का अवसाद।
यही समय है पूछें अब हम सही अर्थ बतलाओ जी,
क्या मंदी और क्या डिप्रेशन, फर्क हमें समझाओ जी।

ऋण भी है और समपार्श्विक भी, मुद्रास्फीति का नाम बड़ा,
क्या है इसका काम बुरा जो शॉपिंग पर यह असर पड़ा।
ध्येय हमारा धन की बातें या पढ़ना पहनावा,
पढ़ें और सीखें ध्यानपूर्वक, बेहतर कल की तैयारी में हो ना फिर पछतावा।

आठवीं कक्षा का पुनरावलोकन

करों के प्रकार

- आय कर
- संपत्ति कर
- सीमा शुल्क
- उत्पाद शुल्क
- विक्रय कर
- योगित मूल्य कर

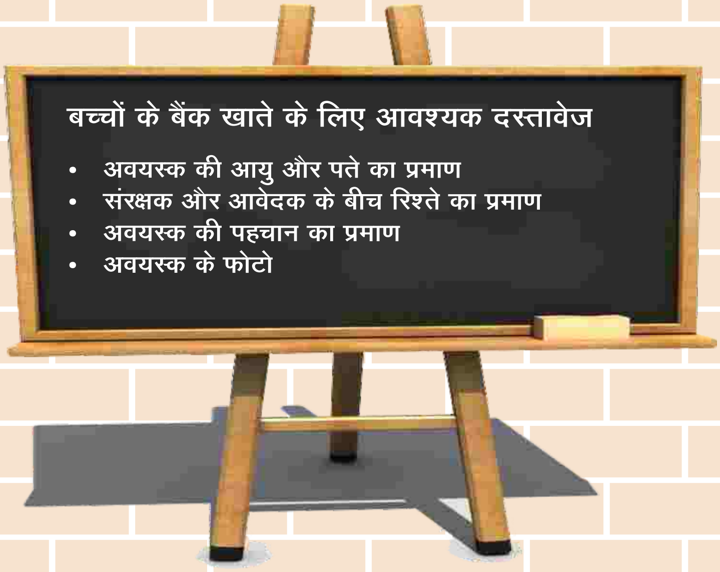

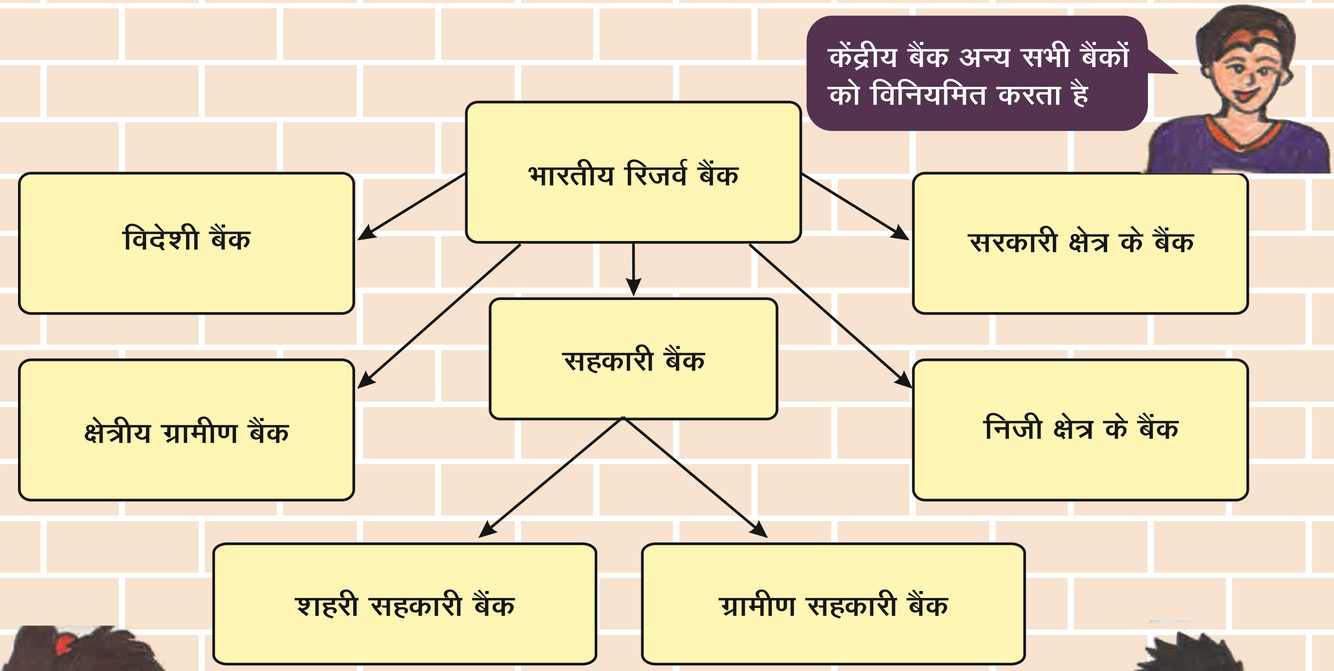
केंद्रीय बैंक अन्य सभी बैंकों को विनियमित करता है
भारतीय रिजर्व बैंक
विदेशी बैंक
सरकारी क्षेत्र के बैंक
सहकारी बैंक
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
निजी क्षेत्र के बैंक
शहरी सहकारी बैंक
ग्रामीण सहकारी बैंक

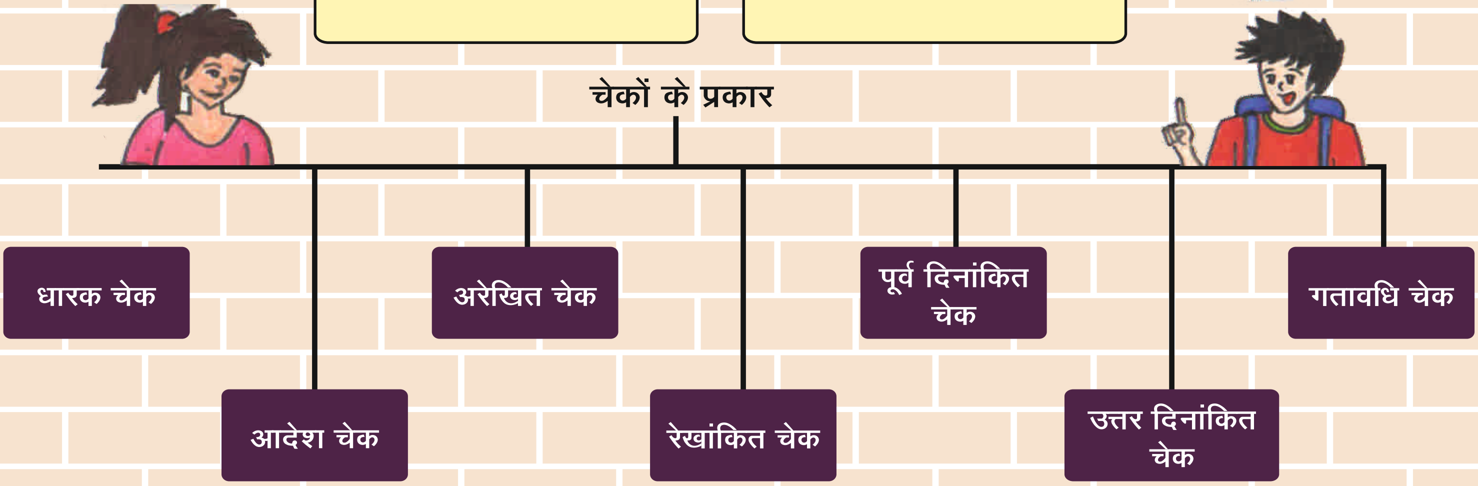
चेकों के प्रकार
धारक चेक
आदेश चेक
अरेखित चेक
रेखांकित चेक
पूर्व दिनांकित चेक
उत्तर दिनांकित चेक
गतावधि चेक

यह आठवीं कक्षा थी
अब हम आपको नवीं कक्षा में ले चलेंगे
हम और बहुत कुछ सीखेंगे
वाह ! खूब मजे से सीखेंगे।

विषय : इतिहास
कक्षा : नौ
सत्र : 1

भाग I : निवेश

कृपया परिवार की सहायता करें और उन्हें विभिन्न प्रकार के निवेशों की जानकारी उपलब्ध कराएं। यह भी सुझाव दें कि (उनकी आय एवं आवश्यकताओं के अनुसार) किसे कहाँ पर निवेश करना चाहिए।

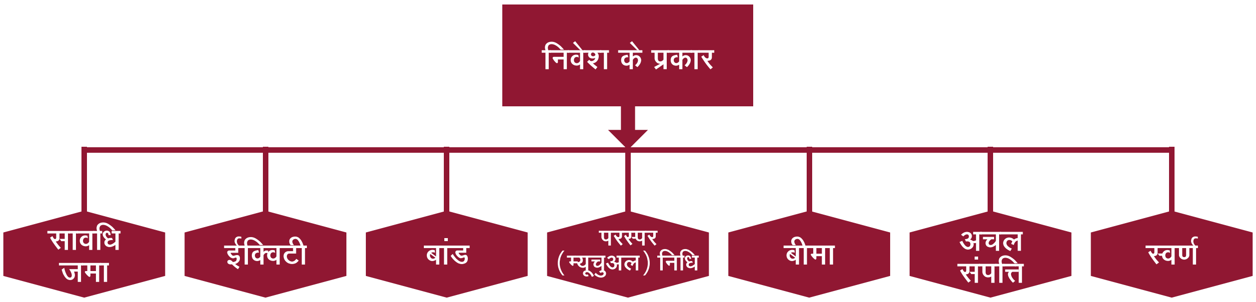

- **प्रत्येक्ष ईक्विटी**

  प्रत्येक्ष ईक्विटी से तात्पर्य, व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा लाभांश की प्रत्याशा में और स्टॉक मूल्य में परिवर्तन होने पर पूँजीगत लाभ के लिए, स्टॉक बाजार में शेयर खरीदने और उन्हें कुछ समय के लिए रखे रहने से है।

- **परस्पर निधियाँ म्यूचुअल निधियाँ**

  निवेश के लिए एक समान उद्देश्य रखने वाले निवेशकों से संग्रहीत धन, जिसे व्यावसायिक रूप से प्रबंधित किया जाता है, परस्पर (म्यूचुअल) निधियाँ कहलाती है।

- **बीमा**

  जीवन बीमा पॉलिसियाँ ऐसे निवेश हैं, जो अनिश्चित भविष्य से आपका और आपके परिवार का बचाव करते हैं। विभिन्न प्रकार की ऐसी पॉलिसियाँ हैं, जिनसे आपके जीवन को सुरक्षा कवच प्राप्त होता है और निश्चित बीमा राशि के लिए आपकी योजनाओं के अनुरूप आपके धन का निवेश करती हैं।

- **स्वर्ण या सोना**

  सोना निवेश का पारंपरिक रूप से पसंदीदा एक विकल्प है। एक दीर्घकालीन निवेश के रूप में कोई निवेशक सोना खरीद सकता है।

- **नियतावधि जमा**

  नियतावधि जमा, विश्वसनीय और ज्ञात प्रतिफल वाला एक सुरक्षित निवेश है। कोई व्यक्ति पूर्वनिर्धारित उद्देश्य के साथ, अपेक्षित प्रतिफल के लिए नियतावधि जमाओं में भी निवेश कर सकता है। इनमें किसी निवेश पर प्रतिफल की राशि और प्रतिफलों के समय की हर किसी को जानकारी होती है।

- **बांड**

  बांड एक निश्चित आय वाला निवेश उत्पाद है, जिसमें निवेशक, ब्याज के लिए किसी कंपनी या सरकार को धन उधार देता है।

- **स्थावर या स्थाई संपदा**

  स्थाई संपदा, निवेश का एक ऐसा विकल्प है, जो किराए के रूप में आय का एक निरंतर स्रोत है और समय के साथ उसके मूल्य में वृद्धि भी हो सकती है। यह एक सबसे बड़ा निवेश है, जो सामान्यतः हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन काल में करते हैं।

1) प्रत्यक्ष ईक्विटी का अर्थ निम्नलिखित से है:

   क) शेयर खरीदना और उन्हें धारित करना (रखना)
   ख) निवेशकों के धन के संग्रह
   ग) ऐसे निवेश, जो आपका और आपके परिवार का बचाव करते हैं।
   घ) निश्चित आय वाला एक निवेश उत्पाद

2) परस्पर निधियाँ हैं:
   क) स्टॉक बाजार में शेयर
   ख) ऐसे निवेश विकल्प, जिनसे निरंतर आय स्रोत का सृजन होता है।
   ग) विश्वसनीय और ज्ञात प्रतिफलों वाला सुरक्षित निवेश
   घ) निवेशकों से प्राप्त धन का संग्रह, जो व्यावसायिक रूप से प्रबंधित होता है।

3) बांड हैं

   क) एक निश्चित आय वाला निवेश
   ख) विश्वसनीय और ज्ञात प्रतिफलों वाला सुरक्षित निवेश
   ग) निवेश का पारंपरिक रूप से पसंदीदा विकल्प
   घ) ऐसे निवेश विकल्प, जिनसे निरंतर आय स्रोत का सृजन होता है।

4) सोना है:

   क) विश्वसनीय और ज्ञात प्रतिफलों वाला सुरक्षित निवेश
   ख) निश्चित आय वाला निवेश
   ग) निवेश का परंपरागत पसंदीदा विकल्प
   घ) एक ऐसा निवेश, जो आपका और आपके परिवार का बचाव करता है।

5) नियतावधि जमा है:

   क) शेयर खरीदना और उन्हें धारित करना (रखना)
   ख) विश्वसनीय और ज्ञात प्रतिफलों वाला सुरक्षित निवेश
   ग) निश्चित आय वाला निवेश
   घ) निवेश का परंपरागत पसंदीदा विकल्प

भाग II :

वित्तीय क्षेत्र के सुधार और बीमा

मुक्त स्पर्धात्मक बाजार से राष्ट्रीयकरण तक और वापस फिर से एक स्वतंत्र बाजार के रूप में वर्ष 2000 में, भारत में बीमा क्षेत्र का चक्र पूरा हो गया था। पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करने और भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने, प्रोत्साहित करने और उसके व्यवस्थित विकास के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण नामक एक विधिक संस्था की आईआरडीएआई अधिनियम, 1999 के अंतर्गत स्थापना की गई। आईआरडीएआई भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक दस सदस्यी संस्था है, जिसमें एक अध्यक्ष, पाँच पूर्णकालिक और चार अंशकालिक सदस्य होते हैं।

आईआरडीएआई के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:

- पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना
- बीमा कंपनियों का पंजीकरण करना और उन्हें विनियमित करना
- बीमा मध्यस्थों को लाइसेंस देना और उनके लिए मानदण्ड स्थापित करना
- बीमा कंपनियों के लिए वित्तीय प्रतिवेदन (रिपोर्टिंग) मानदण्ड निर्धारित करना
- बीमा कंपनियों द्वारा पॉलिसी धारकों की निधियों का निवेश करने को विनियमित करना
- यह सुनिश्चित करना कि बीमा कंपनियाँ शोधक्षमता सीमांत राशि बनाए रखें
- ग्रामीण क्षेत्रों में और समाज के संवेदनशील वर्गों के लिए बीमा की उपलब्धता सुनिश्चित करना

वर्ष 2000 से आईआरडीएआई, बीमा उद्योग के लिए एक आत्मनिर्भर विनियामक प्राधिकारी के रूप में और बीमा कंपनियों की वित्तीय अर्थक्षमता के बारे में पॉलिसी धारकों में आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए कार्य कर रहा है। आईआरडीएआई बीमा क्षेत्र के व्यवस्थित विकास के लिए, अपने कर्तव्य का पालन करने की एक मूल वचनबद्धता के साथ बीमा क्षेत्र में एक निर्णायक भूमिका का निर्वाह कर रहा है।

बीमा क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण

भारतीय बीमा उद्योग के भागीदारों में पंजीकृत बीमाकर्ता, लाइसेंस प्राप्त बीमा मध्यस्थ, बीमा संघ जैसे जीवन बीमा और साधारण बीमा परिषद और पॉलिसी धारक शामिल हैं। जब यह क्षेत्र निजी बीमाकर्ताओं के लिए खुला तब केवल भारतीय जीवन बीमा निगम, जीवन बीमा पॉलिसी प्रदान करता था और भारतीय साधारण बीमा निगम के अंतर्गत चार सहयोगी कंपनियाँ, साधारण बीमा या गैर जीवन बीमा पॉलिसी प्रस्तुत करती थीं तथा निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) एक विशेषीकृत बीमाकर्ता था। निजी क्षेत्र की कंपनियों को बीमा क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति प्रदान करने के बाद इस उद्योग में जीवन बीमा संभाग में 23 नई कंपनियों ने और 22 कंपनियों ने गैर जीवन संभाग में प्रवेश किया था। उपयुक्त गैर जीवन के निजी बीमाकर्ताओं में से पाँच का केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही कार्य करने के लिए पंजीकरण किया गया है। निजी बीमाकर्ताओं में से केवल कुछ को छोड़कर अधिकांश ने विदेशी साझीदारों या बैंकों के साथ अपना कारोबार स्थापित किया है। फसलों के लिए विशिष्ट बीमाकर्ता के रूप में गठित की गई कृषि बीमा कंपनी सरकारी क्षेत्र में कार्य करती है। मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार, भारतीय साधारण बीमा निगम के अतिरिक्त, जो एक मात्र पुनर्बीमाकर्ता बीमा मध्यस्थ है, भारत में कुल 52 बीमा कंपनी कार्यरत थीं। बीमा मध्यस्थ पॉलिसीधारकों को विक्रय स्थान पर और पॉलिसी संविदा के दौरान दोनों ही स्थितियों में सेवाएं प्रदान करते हैं। ये मध्यस्थ वस्तुतः बीमा अभिकर्ता (एजेंट) – बैंकों, ब्रोकरों, सूक्ष्म बीमा अभिकर्ताओं, बेब संकलनकर्ताओं और सामान्य सेवा–केंद्रों सहित, कॉरपोरेट अभिकर्ता हैं। अन्य मध्यस्थ तृतीय पक्ष प्रशासक हैं, जो स्वास्थ्य बीमा, पॉलिसी सर्वेक्षकों, हानि आकलनकर्ताओं, जो साधारण बीमा से संबंधित दावों में हानि का आकलन करते हैं और बीमा पॉलिसी को अमूर्त या इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में रखने वाले बीमा भंडार केंद्रों को सेवाएं प्रदान करते हैं।

वित्तीय वर्ष 2013 के अंत तक देश में 17,861 बीमा कार्यालय थे, जो लगभग 42.10 करोड़ पॉलिसियों का कारोबार कर रहे थे। अपने कार्यालयों में 3.43 लाख लोगों को नौंकरी उपलब्ध कराने के अतिरिक्त उक्त बीमाकर्ता लगभग 27.21 लाख अभिकर्ताओं (एजेंटों) को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। किसी देश में बीमा क्षेत्र के विकास के स्तर की माप, बीमा प्रवेश (सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में बीमा प्रीमियम) और बीमा घनत्व (प्रति व्यक्ति प्रीमियम) से की जाती है। भारत के लिए बीमा प्रवेश 3.96 प्रतिशत और बीमा घनत्व रु2,722 / – है।

उलझे–पुलझे शब्द

उलझे–पुलझे शब्द	संकेत	हल
शनिवे	ऐसी वस्तुओं की खरीद, जिनका अभी उपभोग नहीं किया जाएगा, बल्कि उसका प्रयोग भविष्य में संपत्ति सृजित करने के लिए होता है।	
रशेय	कंपनी की पूँजी के समान भाग का प्रतिनिधित्व करने वाली स्वामित्व की एक इकाई	
ररपस्प धिनि	व्यावसायिक रूप से प्रबंधित सामूहिक रूप से निवेश की एक योजना, जिसमें प्रतिभूतियों की खरीद हेतु अनेक निवेशकों से धन एकत्र होता है	
रवस्था संदाप	भूमि और भवन से बनी संपत्ति	
नपेंश	सरकार अथवा पूर्व नियोजक द्वारा सेवानिवृत्त लोगों को दिए जाने वाले भुगतान	
ताअमक्ष नशपें	अक्षमता के कारण काम पर बने रहने में असमर्थ होने पर लोगों को दी जाने वाली पेंशन	

1) आईआरडीएआई का पूरा नाम.. ।
क) इंडियन रूरल डेवलपमेंट अथौरिटी ख) इंडियन रेवेन्यू डेवलपमेंट अथौरिटी
ग) इंश्योरेंस रेगूलेटरी एण्ड डेवलपमेंट अथौरिटी ऑफ इंडिया घ) इंडियन रेलवे डेवलपमेंट अथौरिटी

2) आईआरडीएआई एक .... सदस्यीपय संस्था है।
क) 5 ख) 7
ग) 12 घ) 10

3) आईआरडीएआई के सदस्यों की नियुक्ति .... द्वारा की जाती है।
क) भारत सरकार ख) भारत का योजना आयोग
ग) वित्त मंत्रालय घ) भारत के राष्ट्रपति

4) आईआरडीएआई का मुख्य कार्य .... है।
क) पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना ख) बीमा कंपनियों का पंजीकरण और विनियमन
ग) ग्रामीण क्षेत्रों और समाज के संवेदनशील वर्गों के लिए बीमा सुरक्षा सुनिश्चित करना
घ) उपर्युक्त सभी

5) वर्ष 2013 के अंत तक देश भर में .... बीमा कार्यालय थे।
क) 14831 ख) 18922
ग) 17253 घ) 17861

6) भारत का बीमा प्रवेश .... है।
क) 3.96 प्रतिशत ख) 3.92 प्रतिशत
ग) 3.90 प्रतिशत घ) 6.96 प्रतिशत

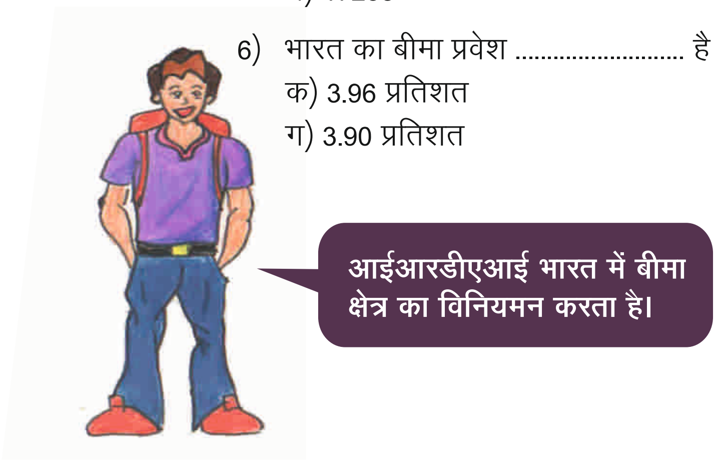

निधियों के स्रोत

निधियों के स्रोतों का वर्गीकरण

स्वामित्व और साझेदारी की संस्थाओं के मामले में निधियाँ या तो वैयक्तिक स्रोतों से या बैंकों, मित्रों आदि से प्राप्त की जा सकती हैं। कंपनी स्वरूप के किसी संगठन के मामले में व्यापार वित्तपोषण के स्रोतों का, विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण किया जा सकता है जैसे अवधि के आधार, उत्पत्ति–स्रोत का आधार या स्वामित्व का आधार। इन स्रोतों की संक्षिप्त व्याख्या नीचे प्रस्तुत हैः

अवधि के आधार पर

अवधि के आधार पर निधि स्रोतों को तीन भागों में बाँटा जा सकता है। ये दीर्घावधि स्रोत, मध्यावधि स्रोत और अल्पावधि स्रोत हैं:

- दीर्घावधि : शेयर और डिबेंचर, वित्तीय संस्थाओं से ऋण
- मध्यावधि : जमा प्रमाणपत्र, पट्टेदारी वित्तपोषण और वित्तीय संस्थाओं से ऋण
- अल्पावधि : व्यापार ऋण, ग्राहक अग्रिम, ओवरड्रॉफ्ट, बिल–बट्टाकरण (बिल–डिस्काउंटिंग)

स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण

स्वामित्व के आधार पर निधियों को 'स्वामियों/मालिकों की निधियाँ' और 'उधार ली गई निधियाँ' में वर्गीकृत किया जा सकता है। किसी उद्यम के मालिकों द्वारा उद्यम में उपलब्ध कराई गई निधियाँ मालिकों की निधियाँ होती हैं, जो एकल उद्यमी या साझीदार हो सकता है या कंपनी के शेयर धारक हो सकते हैं। उधार ली गई निधियों से आशय ऋण अथवा उधारी के माध्यम से एकत्र की गई निधियों से है।

- मालिकों की निधि : ईक्विटी, सुरक्षित रखी आय
- उधार ली गई : वित्तीय संस्थाओं से ऋण, डिबेंचर, व्यापार ऋण, जमा प्रमाणपत्र

उत्पत्ति –स्रोत के आधार पर

निधियों के स्रोतों को वर्गीकृत करने का एक दूसरा आधार यह हो सकता है कि निधियों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है अर्थात निधियाँ संगठन की आंतरिक उत्पत्ति हैं या निधियाँ बाह्य स्रोतों से उत्पन्न हुई हैं। निधियों के बाह्य स्रोतों में संगठन के बाहर के स्रोत जैसे आपूर्तिकर्ता, उधारदाता, निवेशक शामिल हैं।

- आंतरिक स्रोत : सुरक्षित रखी आय, प्राप्य राशियाँ, अतिरिक्त या ज्यादा सामान को बेच देना
- बाह्य स्रोत : डिबेंचर, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, जमा प्रमाणपत्र

वित्तपोषण के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित हैं :

ईक्विटी शेयर

कंपनी अपनी पूँजी को शेयरों में विभाजित करती है, जो पूँजी एकत्र करने के लिए निवेशकों को प्रस्तुत किए जाते हैं। इस प्रक्रिया को शेयर जारी करना के नाम से जाना जाता है। ईक्विटी शेयरों के मालिक अपनी शेयर धारिता के अनुपात में कंपनी के मालिक होते हैं। कंपनियाँ शेयर जारी करके दीर्घावधि निधियाँ एकत्र करती हैं।

कंपनी द्वारा निवेशक को कोई नियत प्रतिफल (रिटर्न) (अर्थात ब्याज, लाभांश आदि) देने की कोई बाध्यता नहीं होती है। इसके अलावा निवेशकों को उनकी पूँजी की चुकौती कंपनी के बंद होने के समय की जाती है।

कंपनी अपना लाभ शेयर धारकों में बाँट सकती है, जो लाभांश कहलाता है। इसके अलावा कंपनी के कार्य निष्पादन के आधार पर शेयरों का मूल्य बढ़ सकता है या कम भी हो सकता है।

प्राथमिकता या अधिमानी शेयर

प्राथमिकता या अधिमानी शेयर से निवेशक को एक नियत लाभांश का अधिकार प्राप्त होता है, जिसका भुगतान सामान्य शेयर के लाभांश भुगतान से पहले किया जाता है।

डिबेंचर

एक विशेष ब्याज दर पर एक निश्चित अवधि के लिए निवेशकों से ऋण प्राप्त करने के लिए कंपनियाँ डिबेंचर जारी करती हैं। एक निश्चित आय के इच्छुक निवेशक डिबेंचर खरीदते हैं। कंपनी डिबेंचरों पर ब्याज देती है और नियत अवधि के बाद डिबेंचरों की राशि की चुकौती करती है। डिबेंचर धारक कंपनी के मालिक नहीं होते हैं।

वित्तीय संस्थाओं से ऋण

मांग ऋण

मांग ऋण खाते के ऋण की संपूर्ण राशि का भुगतान, ऋण लेने वाले को एक बार में या तो नकद रूप में या उसके बचत खाते या चालू खाते में धनांतरण द्वारा किया जाता है। मांग ऋण प्राप्त करने के बाद सामान्यतः ब्याज, प्रासंगिक प्रभारों, बीमा प्रीमियमों, जमानत की सुरक्षा पर व्यय आदि का नामे करना छोड़ कर अन्य किसी मद के लिए धनराशि नामे करने की अनुमति नहीं दी जाती है। उक्त ऋण के मांग स्वरूप को किसी प्रकार से प्रभावित किए बिना, चुकौती किश्तों में की जा सकती है। इसमें सामान्यतः एक यह शर्त रहती है कि किसी किश्त का भुगतान न होने पर, ऋण की संपूर्ण राशि तुरंत देय हो जाएगी। ब्याज की गणना नामे शेष पर और यदि कोई अन्य प्रावधान न हो तो सामान्य रूप से मासिक आधार पर की जाती है। कोई चेक बुक जारी नहीं की जाती है। इसमें जमानत वैयक्तिक हो सकती है या फिर शेयरों, सरकारी कागजात, नियतावधि जमा रसीद, जीवन बीमा पॉलिसियों, वस्तुओं के रूप में हो सकती है।

मियादी ऋण

मियादी या मीयादी ऋण सामान्यतः पूँजी की नियत अपेक्षाओं जैसे किसी संयंत्र एवं उपकरण, भूमि, अपार्टमेंट और भवन में निवेश के लिए मंजूर किया जाता है। मियादी ऋण की आवश्यकता नए संयंत्र लगाने या संयंत्र और उपकरणों के विस्तार अथवा आधुनिकीकरण के लिए होती है। यह ऋण तीन वर्ष से अधिक की नियत अवधि के लिए प्रदान किया जाता है और चुकौती की अनुसूची के अनुसार इसकी चुकौती की जानी होती है। मीयादी ऋण की अवधि 10 साल तक और कुछ मामलों में 20 साल तक हो सकती है। उधार लेने वाले को ऋण राशि पर पूर्व निर्धारित ब्याज दर पर ब्याज भुगतान करना होता है। इसके अलावा उधारकर्ता को नियत अवधि की समाप्ति पर ऋण राशि बैंक को वापस करनी होती है। सामान्य ऋण, आस्तियों की जमानत पर मंजूर किए जाते हैं।

नकदी ऋण (कैश क्रेडिट)

नकदी ऋण या कैश क्रेडिट बैंक द्वारा मंजूर ऋण के लिए एक आहरण खाता है और इसका परिचालन उस चालू खाते की तरह किया जाता है, जिसमें ओवर ड्राफ्ट सीमा मंजूर की गई हो। कैश क्रैडिट खाते के मुख्य फायदे यह हैं कि किसी पक्ष द्वारा नियत ऋण के आधार पर लिए गए उधारों से भिन्न इस खाते का परिचालन निर्धारित सीमा के अंदर, केवल जब आवश्यकता

हो तब किया जा सकता है और उधार लेने वाला जब चुकाने की स्थिति में हो तब नामे (कर्ज की) शेष राशि को कम करके ब्याज की बचत कर सकता है। ऋणकर्ता उधार की शर्तों के अनुरूप अपनी अपेक्षानुसार समय—समय पर वैकल्पिक जमानत भी उपलब्ध करा सकता है। आमतौर पर नकदी ऋण या कैश क्रेडिट, सामान जैसे कच्चे माल, प्रक्रियाधीन स्टॉक, तैयार माल की जमानत पर मंजूर किए जाते हैं। कैश क्रेडिट सुविधा का लाभ उठाने पर उधारकर्ता को केवल आहरित की गई राशि पर और केवल उस अवधि के लिए ब्याज देना होता है, जितनी अवधि के लिए उक्त राशि बकाया रहती है।

ओवरड्राफ्ट

जब कोई बैंक अपने ग्राहक को उसके खाते में शेष राशि से अधिक, एक निर्धारित सीमा तक धनराशि आहरित करने की अनुमति प्रदान करता है तो इसे ओवर ड्राफ्ट की सुविधा के नाम से जाना जाता है। यह सीमा खाताधारक की विश्वसनीयता पर आधारित होती है। ऋण के मामले से भिन्न ओवरड्राफ्ट की स्थिति में एक बार से अधिक बार धनराशि आहरित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वास्तव में ग्राहक जितनी बार चाहे धनराशि आहरित कर सकता है और चुका सकता है परंतु शर्त यह है कि ओवरड्राफ्ट से आहरित कुल राशि सहमत (एग्रीड) राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए। उधारकर्ता को ओवरड्राफ्ट की अवधि (अर्थात् ओवरड्राफ्ट की सुविधा में से आहरण की तारीख से चुकाने तक की तारीख तक की अवधि) के लिए पूर्व निर्धारित दर पर ब्याज देनी होगी।

बिल बट्टाकरण (बिल डिस्काउंटिंग)

बैंक, विनिमय बिलों को बट्टे पर लेकर भी अग्रिम अर्थात उधार देते हैं। विनिमय बिल या विनिमय पत्र, एक ऐसा दस्तावेज या लिखत (इन्स्ट्रूमेंट) है, जो किसी को हस्तांतरित किया जा सकता है और इस प्रकार उस लिखत की धन राशि भी अंतरित हो जाती है। विनिमय बिल वह दस्तावेज है, जिसके द्वारा माल या सामान का खरीददार, खरीदे हुए माल के लिए या अन्य कारण हेतु किसी नियत तारीख को एक विशेष राशि का भुगतान करने का वचन देता है। जब बट्टे पर भुगतान के लिए विनिमय बिल, बैंक को प्रस्तुत किए जाते हैं तो बैंक बट्टे की राशि कम करके विनिमय बिल की राशि उस व्यक्ति के खाते में जमा कर देता है, जिसके नाम उस समय वह विनिमय पत्र है। बट्टे की राशि बैंक की आय होती है।

ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं से निधियाँ प्राप्त करना

कभी—कभी कोई कंपनी या व्यक्तियगत व्यापारी अपने ग्राहकों से अग्रिम भुगतान की मांग करते हैं। ऐसा तब किया जाता है जब आदेशित वस्तु का मूल्य बहुत अधिक होता है या आदेश किया गया सामान बहुत मँहगा होता है। यह उस उत्पाद के मूल्य भुगतान का हिस्सा होता है, जिसकी सुपुर्दगी बाद की तारीख में की जाएगी।

किसी व्यापारी को उसके व्यापार के लिए उपकरण और सामान खरीदने हेतु, आपूर्तिकर्ताओं या विक्रेताओं की ओर से तुरंत भुगतान न मांग कर उनके द्वारा व्यापार ऋण दिया जाता है। दूसरे शब्दों में व्यापार ऋण वास्तव में ''अभी खरीदें, बाद में चुकाएं'' है। व्यापार ऋण का उपयोग अल्पावधि वित्तकपोषण के स्रोत के रूप में व्यापारिक संगठनों द्वारा किया जाता है। यह उन ग्राहकों को प्रदान किया जाता है, जिनकी यथोचित प्रतिष्ठा और साख है।

सुरक्षित रखी गई आय

सुरक्षित रखी गई आय, कंपनी द्वारा कमाए गए लाभ हैं, जो लाभांश के रूप में निवेशकों को नहीं वितरित जाते हैं। परंतु उनका या तो व्यापार में पुनर्निवेश कर दिया जाता है या उन्हें किसी ऋण की चुकौती या पूँजीगत आस्ति की खरीद जैसे विशिष्ट प्रयोजनों के लिए सुरक्षित राशि के रूप में रख लिया जाता है।

पट्टेदारी वित्तपोषण

पट्टेदारी वित्तपोषण, मध्यावधि और दीर्घावधि वित्तपोषण के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है, जिसमें किसी आस्ति (संपत्ति) का मालिक आवधिक भुगतानों की शर्त पर उस आस्ति का प्रयोग करने का अधिकार दूसरे व्यक्ति को दे देता है। आस्ति का मालिक पट्टादाता और आस्ति का प्रयोग करने वाला पट्टेदार कहलाता है। पट्टेदारी वित्तपोषण के अंतर्गत पट्टेदार को आस्ति का प्रयोग करने का अधिकार दिया जाता है परंतु उसका स्वामित्व पट्टादाता के पास रहता है। पट्टेदारी संविदा की समाप्ति पर आस्ति, पट्टादाता को लौटा दी जाती है या फिर पट्टेदार को यह विकल्प दिया जाता है कि वह या तो उस आस्ति को खरीद ले या पट्टेदारी करार का नवीनीकरण कराए।

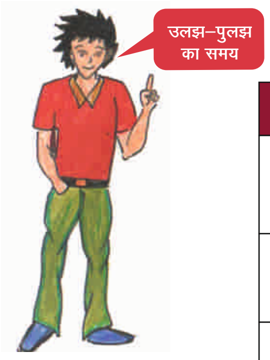

उलझे–पुलझे शब्द

उलझे–पुलझे शब्द	संकेत	हल
क्विईटी रयशे	कंपनी द्वारा प्रयोग किया जाने वाला दस्तावेज,जो धारक को कंपनी का एक मालिक होने का हक देता है।	
नीधिअमा यरशे	सामान्य शेयरों की तुलना में लाभांश वितरण में प्राथमिकता देने की योग्यता वाला कंपनी स्टॉक	
र्सबेंचडि	किसी कंपनी द्वारा जारी नियत ब्याज दर की दीर्घावधि वाली सुरक्षित प्रतिभूति	
शकै टक्रेडि	किसी कंपनी को दिया जाने वला अल्पावधि नकदी ऋण	
फटड्रा वरओ	शेष राशि से अधिक धन आहरित कर बैंक खाते में उत्पन्न घाटा	
रपाव्या णऋ	अभी खरीदने, बाद में चुकाने के लिए आपूर्तिकर्ताओं, द्वारा दिया ऋण	

1) .... परक्राम्य लिखत हैं:
   क) डिबेंचर   ख) मांग ऋण
   ग) सुरक्षित रखी आय   घ) विनिमय बिल

2) .... बैंक द्वारा मंजूर ऋण में से आहरण हैं।
   क) मांग ऋण   ख) मियादी ऋण
   ग) कैश क्रेडिट   घ) ट्रेड क्रेडिट

3) .... वह ऋण खाता है, जिसमें ऋण की संपूर्ण राशि का भुगतान, ऋण लेने वाले को एक बार में या तो नकद रूप में या उसके बचत खाते या चालू खाते में धनांतरण द्वारा किया जाता है:
   क) मांग ऋण   ख) मियादी त्रण
   ग) कैश क्रेडिट   घ) ट्रेड क्रेडिट

4) .... सामान्यात: पूँजी की नियत अपेक्षाओं के लिए मंजूर किया जाता है।
   क) मांग ऋण   ख) मियादी त्रण
   ग) कैश क्रेडिट   घ) ट्रेड क्रेडिट

5) निवेशकों से ऋण प्राप्त करने के लिए.................... जारी किए जाते हैं।
   क) डिबेंचर   ख) सुरक्षित रखी आय
   ग) ट्रेड क्रेडिट   घ) परक्राम्य लिखत

6) कंपनी द्वारा कमाए गए लाभ, जो लाभांश के रूप में शेयरधारकों को वितरित नहीं किए जाते, वे........ .... कहलाते हैं।
   क) सुरक्षित रखी आय   ख) डिबेंचर
   ग) परक्राम्य लिखत   घ) मांग ऋण

7) तुरंत भुगतान न करके आपूर्तिकर्ता से उपकरण और सामान खरीदना................ कहलाता है।
   क) डिबेंचर   ख) सुरक्षित रखी आय
   ग) ट्रेड क्रेडिट   घ) परक्राम्य लिखत

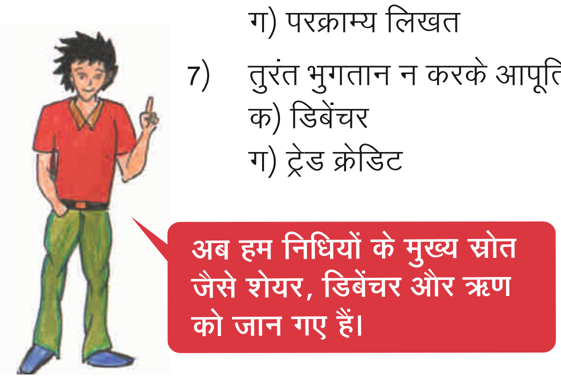

विषय : राजनीतिशास्त्र
कक्षा : नौ
सत्र : 1

पैन कार्ड और आधार कार्ड

1. पैन क्या है ?

स्थाई खाता संख्या (परमानेंट एकाउण्ट नंबर), आयकर विभाग द्वारा जारी की जाने वाली, वर्णों और संख्याओं के संयोग से बनी (अल्फान्यूमेरिक), दस अंकों की एक पहचान संख्या है। पीएएन (पैन) से आयकर विभाग को, "व्यक्ति" के सभी वित्तीय लेन–देनों को जोड़ने (लिंक करने) में सक्षम बनाता है। यह आयकर विभाग के लिये "व्यक्ति" के पहचानकर्ता के रूप में भी काम करता है।

उदाहरण के लिए **ईएमएमपीएस2280ई** एक प्रतीक पैन है।

2. स्थाई खाता संख्या का प्रयोजन क्या है ?

आयकर विवरणी में, आयकर विभाग के किसी प्राधिकारी को सभी पत्राचारों और आयकर विभाग को देय किसी भुगतान के लिए चालानों में पैन का उल्लेख करना अधिदेशात्मक है।

प्रत्यक्ष कर केंद्रीय बोर्ड द्वारा अधिसूचित आर्थिक लेन–देनों या वित्तीय लेन–देनों से संबंधित सभी दस्तावेजों में भी पैन का उल्लेख करना अनिवार्य है। ऐसे कुछ लेन–देन – अचल संपत्ति , मोटर वाहन का क्रय–विक्रय, होटल के बिलों के भुगतान, रु.25,000 से अधिक के नकद भुगतान, किसी विदेश यात्रा के लिए भुगतान करना हैं। उसी प्रकार किसी बैंक या डाकघर में रु.50,000 से अधिक की सावधि जमा या किसी बैंक में रु.50,000 या अधिक नकदी जमा करने के लिए पैन का उल्लेख करना आवश्यक है।

3. क्या आयकर विवरणी में पैन का उल्लेख करना अनिवार्य है?

हॉं, आयकर विवरणी में पैन का उललेख करना अनिवार्य है।

4. पैन की आवश्यकता किसे होनी चाहिए?

सभी कर निर्धारितियों, कर दाताओं या उन सभी लोगों को पैन प्राप्त करना चाहिए, जिनसे आय कर की विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, भले ही वे दूसरों के लिए प्रस्तुत करते हों। वह कोई व्यक्ति, जो अर्थव्यवस्थागत या ऐसे वित्तीय लेन–देन करना चाहते हों, जिनमें पैन का उल्लेख करना अधिदेशात्मक हो तो उसे भी पैन प्राप्त करना चाहिए। कर निर्धारण अधिकारी किसी व्यक्ति को, स्वयं ही या उस व्यक्ति के विशिष्ट अनुरोध पर पैन आवंटित कर सकता है।

5. **पैन की किसे आवश्यकता नहीं है?**

केवल कृषि आय वाले व्यक्तियों को या उन्हें, जिनकी आय कर योग्य नहीं है, पैन प्राप्त करने या उसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों को उन लेन–देनों के लिए, जिनमें पैन की जरूरत होती है, फॉर्म 61 में एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।

6. **पैन के लिए कहाँ आवेदन करें ?**

उन सभी शहरों और कस्बों में, जहाँ आयकर का कोई कार्यालय है, आयकर विभाग ने कतिपय संस्थाओं जैसे यूटीआई इनवेस्टर सर्विसेज लिमिटेड (यूटीआईआईएसएल) और राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) को सुविधा केंद्रों से पैन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्राधिकृत किया है।

7. **क्या कोई व्यक्ति एक से अधिक पैन प्राप्त और प्रयोग कर सकता है ?**

एक से अधिक पैन प्राप्त करना या रखना कानून विरुद्ध है।

आधार – आम आदमी का अधिकार

आधार

आधार, भारत में सभी निवासियों को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआई) द्वारा जारी किए जाने वाली 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या है। इस संख्या में, एक केंद्रीय आँकड़ाधार (डेटाबेस) में प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत जनसांख्यकीय (डेमोग्राफिक) एवं जैवमितीय (बायोमैट्रिक) सूचना जैसे फोटो, दस उँगलियों की और पुतलियों की छाप एकत्र रहेगी।

आधार आसानी से सत्यापन योग्य, विशिष्ट पहचान है और यह सरकारी और निजी डेटाबेस में दोहरी तथा नकली पहचान की वृहत् संख्या को समाप्त करने के लिए पर्याप्त सशक्त होगा। आधार – जाति, धर्म और भूगोल पर आधारित किसी वर्गीकरण से परे, एक बेतरतीब संख्या है।

- यह कार्ड मात्र नहीं, 12 अंकों की एक संख्या है।
- यह शिशुओं सहित प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। परिवार में प्रत्येक सदस्य के पास अपनी अलग आधार संख्या होगी।
- यह व्यक्ति की पहचान कराता है और प्रत्येक निवासी के लिए है। इससे व्यक्ति की नागरिकता सिद्ध नहीं होती है और यह केवल भारतीयों के ही लिए नहीं है।
- आधार प्राप्त करना ऐच्छिक है अधिदेशात्मक नहीं।
- वर्तमान दस्तावेजों के होते हुए भी यह प्रत्येक निवासी के लिए है। ऐसे व्यक्ति भी, जिनके पास कोई पहचान दस्तावेज नहीं है, आधार प्राप्त कर सकते हैं।
- प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक विशिष्ट आधार पहचान संख्या उपलब्ध कराई जाएगी। कोई भी एक से अधिक अधार संख्या नहीं रख सकता है।
- आधार संख्या का प्रयोग, राशन कार्ड, पासपोर्ट या किसी पहचान आधारित अनुप्रयोग (एप्लीएकेशन) के साथ किया जा सकता है। यह दूसरी पहचान का स्थान नहीं लेगी अर्थात् इससे दूसरे पहचान पत्र या कार्ड बेकार नहीं हो जाएंगे।
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, पहचान के प्रमाणीकरण के संबंध में किसी प्रश्न का जबाब 'हाँ' या 'नहीं' में देगा। जनता या अन्य एजेंसियों को अन्य सूचना नहीं प्राप्त हो सकेगी।

जब एक बार कोई व्यक्ति, आधार के डेटाबेस के अंदर आ जाता है तो वह आसानी से अपनी पहचान स्थापित कर सकता है। आधार, पहचान सत्यापन का एकल स्रोत हो जाएगा। लोग बैंक खाता खोलने, पासपोर्ट, ड्रॉइविंग लाइसेंस प्राप्त करने तथा ऐसी अन्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए प्रत्येक समय समर्थनकारी पहचान दस्तावेज, बार–बार उपलब्ध कराने की परेशानी से मुक्त हो जाएंगे। पहचान का एक स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध करा कर, आधार, गरीब और सुविधाविहीन निवासियों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में प्रवेश करने और सरकारी एवं निजी क्षेत्र द्वारा प्रदत्ता सेवाओं का लाभ उठाने में सुविधा प्रदान करेगा।

आधार के फायदे

- पहचान का एक स्पष्ट प्रमाण है और अपरिवर्तनीय है।
- इससे लोग सरकारी और निजी क्षेत्र द्वारा प्रदत्त सेवाएं प्राप्त करने में समर्थ होंगे।
- उन लोगों के लिए इस विशिष्ट पहचान संख्या से बड़ी संभावनाएं हैं, जो गरीब हैं, साधन संपन्न नहीं हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं।
- प्रवासियों को पहचान का प्रमाण उपलब्ध कराता है।
- सुविधाविहीन नागरिकों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में प्रवेश करने में मदद करता है।
- इससे बैंकों और बीमा योजनाओं द्वारा वित्तीय समावेशन में मदद मिलती है।

अभ्यास

1. विभिन्न पहचान प्रमाण क्या हैं ?

   ....

2. वे कौन–कौन से स्थान हैं, जहाँ हमें पहचान प्रमाण की आवश्यकता होती है ?

   ....

3. क्या आधार केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है ?

   ....

उलझे–पुलझे शब्द

उलझे–पुलझे शब्द	संकेत	हल
ताखासं. ईस्था	आयकर विभाग द्वारा जारी 10 अंक की वर्ण और संख्याओं की एक संयुक्त संख्या	
रआधा	यूआईडीएआई द्वारा जारी 12 अंको की एक विशिष्ट संख्या	

2) पैन का पूरा नामक है:

क) परमानेंट अमाउण्ट नंबर ख) प्राइमरी अकाउण्ट नंबर
ग) परमानेंट अकाउण्ट नंबर घ) परमानेंट अकाउण्ट नॉमिनी

2) रु......... से अधिक की नियतावधि या मियादी जमा करते समय पैन का उल्लेख करना होता है।

क) रु.40,000 ख) रु.1,00,000
ग) रु.10,000 घ) रु. 50,000

3) पैन की उन लोगों को आवश्यकता नहीं होती हे, जिनके पास............ होता/होती है।

क) सरकारी नौंकरी ख) निजी खेत्र की नौंकरी
ग) कृषि आय घ) रु.1,00,000 से कम आय

4) किसी व्यक्ति द्वारा एक से अधिक पैन प्राप्त या उसका प्रयोग करना................है।

क) कानूनी ख) कानून विरुद्ध
ख) कतिपय परिस्थितियों में अनुमत घ) औपचारिक

5) आधार .... अंकों की एक विशिष्ट संख्या है।

क) 10 ख) 12
ग) 16 घ) 15

6) आधार .... द्वारा प्रयोग किया जा सकता है।

क) प्रत्येक व्यक्ति ख) केवल वयस्क
ग) केवल शिशु घ) केवल वरिष्ठ नागरिक

7) आधार विशिष्ट पहचान संख्या का .... के साथ प्रयोग किया जा सकता है।

क) राशन कार्ड खा) पासपोर्ट
ग) पहचान आधारित किसी अनुप्रयोग घ) उपर्युक्त सभी

विषय : राजनीति शास्त्र
कक्षा : नौ
सत्र : 2

भाग : 1
बीमा में शिकायत निवारण तंत्र

पॉलिसी धारक की सुरक्षा

पॉलिसी धारक के हितों की रक्षा के लिए भारत में एक विनियामक ढाँचा उपलब्ध है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पॉलिसी धारकों के हितों की सुरक्षा) विनियमावली, 2002 में, पॉलिसी विक्रय के समय की जाने वाली विभिन्न घोषणाओं, ग्राहकों को सेवा उपलब्ध कराने की समय सीमा, शिकायत निवारण क्रियाविधि आदि के संबंध में प्रावधान किए गए हैं।

शिकायत निवारण

यदि कोई व्यक्ति किसी बीमा कंपनी या उस कंपनी से संबद्ध मध्यस्थ से अप्रसन्न है तो पहले उसे कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क करना और शिकायत देनी चाहिए। वरीयतन उसे शिकायत लिखित रूप में समर्थनकारी दस्तावेजों के साथ देनी चाहिए। बीमा कंपनी से अपेक्षा की जाती है कि वह शिकायत प्राप्त होने से दो सप्ताह के अंदर उसका निवारण करे। यदि शिकायत प्राप्त होने के दो सप्ताह के अंदर उसका निवारण नहीं किया जाता या उसका कोई जबाब नहीं मिलता है तो शिकायतकर्ता या तो आईआरडीएआई के कॉल सेंटर पर या आईजीएमएस (एकीकृत शिकायत प्रबंध प्रणाली) में अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए आईआरडीएआई के उपभोक्ता कार्य विभाग से संपर्क कर सकता है। आईआरडीएआई शिकायत प्राप्त कर, उसके समाधान और शिकायतकर्ता को उसका जबाब प्रस्तुत करने हेतु बीमा कंपनी को भेज कर एक सुविधा प्रदाता की भूमिका का निर्वाह करता है।

आईआरडीएआई में शिकायत प्राप्त करने के माध्यम

- टॉलमुक्त टेलीफोन नं.155255 (अर्थात् आईआरडीएआई कॉल सेंटर) पर टेलीफोन करें।
- complaints@irda-gov-in पर ई–मेल भेजें।
- www.igms.irda.gov.in पर एकीकृत शिकायत प्रबंध प्रणाली में शिकायत दर्ज कराएं।
- डाक / कूरियर द्वारा आईआरडीएआई, हैदराबाद को पत्र भेजें।

शिकायत निवारण में आईआरडीएआई की भूमिका

- बीमाकर्ताओं के खिलाफ शिकायतों के पंजीकरण में सुविधा प्रदान करता है।
- बीमाकर्ताओं के द्वारा शिकायतों का समाधान करने में सुविधा प्रदान करता है।
- शिकायतों के निपटान में समयबद्धता पर निगरानी रखता है।
- परोक्ष पर्यवेक्षण के लिए नमूने के आधार पर शिकायतें प्राप्त करता है।
- बाजार के आचरण और विनियामक अनुपालन पर निगरानी रखने के लिए शिकायतों पर आधारित प्रबंध सूचना प्रणाली का प्रयोग करता है।

आईआरडीएआई शिकायतों के संबंध में कोई अधिनिर्णय नहीं देता है और न ही शिकायतों की जाँच करता है।

1) शिकायत निवारण में आईआरडीएआई की भूमिका......... है।

क) बीमाकर्ताओं के खिलाफ शिकायतों के पंजीकरण में सुविधा प्रदान करता है।
ख) बीमाकर्ताओं के द्वारा शिकायतों का समाधान करने में सुविधा प्रदान करता है।
ग) विवाद की समयबद्धता पर निगरानी रखता है।
घ) उपर्युक्त सभी।

2) आईजीएमएस का पूरा नाम है:

क) इंटरनेशनल ग्रीवांस मेनेजमेंट सिस्टेम (अंतरराष्ट्रीय शिकायत प्रबंध प्रणाली)
ख) इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मेनेजमेंट सिस्टेम (एकीकृत शिकायत प्रबंध प्रणाली)
ग) इंडियन ग्रीवांस मेनेजमेंट सिस्टेम (भारतीय शिकायत प्रबंध प्रणाली)
ड़) इस्टैंट ग्रीवांस मेनेजमेंट सिस्टेम (तत्काल शिकायत प्रबंध प्रणाली)

3) कौन सी विनियमावली में पॉलिसी विक्रय के समय की जाने वाली विभिन्न घोषणाओं के संबंध में प्रावधान किए गए हैं?

क) आईआरडीएआई विनियमावली, 2004   ख) आईआरडीएआई विनियमावली, 2003
ग) आईआरडीएआई विनियमावली, 2001   घ) आईआरडीएआई विनियमावली, 2002

भाग – 2: क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड

क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने के चरण:

1. बिलिंग काउण्टर पर अपना कार्ड दें।
2. दुकानदार द्वारा प्रविष्ट की गई बिल की राशि की जाँच करें।
3. कार्ड सुरक्षा कूट की प्रविष्टि करें।
4. दुकानदार दो प्रतियाँ मुद्रित करेगा अर्थात् दुकानदार की प्रति और ग्राहक की प्रति
5. दुकानदार की प्रति पर हस्ताक्षर करें और उसे दुकानदार को दे दें।
6. ग्राहक की प्रति और अपना कार्ड लेकर अपने पास रखें।

ऑनलाइन खरीदारी में क्रेडिट कार्ड से भुगतान के चरण

1. अपने कार्ड का प्रकार चुनें।
2. अपने क्रेडिट कार्ड का ब्योरा दें अर्थात् क्रेडिट कार्ड संख्या, समाप्ति की तारीख, क्रेडिट कार्ड धारक का नाम, सीवीवी कूट संख्या (आमतौर पर कार्ड के पृष्ठ भाग में तीन अंकों का कूट) भरें।
3. भुगतान की पुष्टि करें अर्थात् यदि आवश्यक हो तो प्राधिकृत करने के लिए पासवर्ड डालें।
4. लेन–देन की ऑनलाइन पुष्टि होने पर अर्थात् लेन–देन के सफलतापूर्वक पूरा होने पर जनित लेन–देन की संदर्भ संख्या– प्राप्त करें।

नीचे दिए हुए विवरण को देखें और उसके बाद दिए प्रश्नों का उत्तर दें।

CREDIT CARD STATEMENT

MR. ABC XYZ
SRINAGAR
KASHMIR
TEL NO - XXXXXXX

SRINAGAR - XXXXXX

Payment Coupon

Card Account Number	Total Payment Due	Minimum Payment Due
XXXXXXXXXXXXXXXX	1 5,760.89	2 288.04

Statement Date	Payment Due Date	Total Payment Enclosed
3 20 Jan 2008	4 10 Feb 2008	

*Your Cheque / Draft should be payable to : J&K Bank CC A/C No. (Mention your 16 digit credit number)

Payment Details	Date	Cheque No.	Bank & Branch	Amount

Please cut along the dotted line and send this portion along with your payment.

Name. MR. ABC XYZ
Credit Card No. XXXXXXXXXXXXXXXX

MasterCard

Credit Limit	Available Credit Limit	Statement Date	Payment Due Date	Page
100,000.00	5 94,239.11	20 Jan 2008	10 Feb 2008	Page 1 of 1

Opening Balance	- Payments	- Credits	+ Purchases	+ Cash Advance	+ Charges	6 Total Payment Due
7,619.89	2,000.00	0.00	0.00	0.00	141.00	5,760.89

J&K Bank Rewards Programme	Opening Balance	Points Earned	Points Redeemed	Closing Balance
	660	0	0	660

Date	Merchant City	Details	Amount (Rs)
09.01.2008		PAYMENT RECEIVED	2,000.00 CR
20.01.2008		SERVICE CHARGE	141.00

1 Total Amount Due : The total bill amount to be paid

2 Minimum Amount Due : It is the minimum amount required to be paid

3 Statement Date : The period for which you are billed

4 Payment Due Date : Date by which you need to make payments to avoid any penalties

5 Available Credit Limit : The difference between your total Credit Limit and Total Amount Due

6 Summary of Transactions: It indicates the date, place and amount of each transaction made during the statement period

Name : MR. ABC XYZ
Number : XXXXXXXXXXXXXXXX

1. कुल राशि कितनी है ?

....

2. भुगतान की देय तारीख क्या है ?

....

3. ऋण सीमा कितनी है ?

....

4. न्यूनतम देय राशि कितनी है ?

....

5. प्राप्य नकदी सीमा क्या है ?

....

6. प्राप्य ऋण सीमा कितनी है ?

....

7. विवरण की अवधि क्या है ?

....

8. खरीदारी और अन्य प्रभार क्या हैं ?

....

दसवीं कक्षा की एक छात्रा अमृता एक आवासीय स्कूल में पढ़ती है। वह एक बहुत अच्छी चित्रकार (पेंटर) है और अपने मम्मी–पापा को उनकी शादी की वर्षगाँठ पर एक तैल–चित्र (ऑइल पेंटिंग) भेंट करना चाहती है। इसके लिए उपकरण खरीदने के लिए रु.1,200 की आवश्यकता है, परंतु उसके पास धनराशि नहीं है और रुपयों के लिए अपने मम्मी–पापा को नहीं कहना चाहती क्योंकि वह इस भेंट से उन्हें चकित करना चाहती है। अमृता उन विकल्पों पर विचार करना आरंभ करती है, जहाँ से वह धनराशि प्राप्त कर सके। अचानक उसे क्रेडिट कार्ड का ध्यान आता है, जो उसके पिता ने उसे दिया था। वह अपने चाचाजी को फोन करके पूछती है कि क्या वह क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कर सकती है। उसके चाचा उसे क्रेडिट कार्ड के फायदों और नुकसानों के बारे में बताते हैं:

फायदे

1. क्रेडिट कार्ड से आपको बहुत सी नकदी साथ ले जाए बिना ही ऋण पर खरीदारी करने की सुविधा मिलती है। इससे आपको पर्याप्त लचीलापन अर्थात् छूट रहती है।
2. यह एक विवरण में सभी खरीदारियों को समेकित करके खर्च का एकदम सही विवरण रखने में मदद करता है।
3. इससे सुविधाजनक रूप से घर/कार्यालय से ही ऑनलाइन या फोन पर आदेश देकर/वस्तुएं पसंद कर खरीदारी की जा सकती है। इससे आप बड़ी खरीदारियों का मासिक किश्तों में थोड़ा–थोड़ा भुगतान कर सकते हैं।
4. कतिपय परिस्थितियों में आप ऐसी वस्तुओं का भुगतान रोक सकते हैं, जो दोषपूर्ण निकल जाती हैं।
5. अल्पावधि उधार के लिए क्रेडिट कार्ड सस्ता पड़ता है। ब्याज केवल बकाया ऋण राशि पर लगता है पूरी ऋण सीमा पर नहीं।
6. कुछ क्रेडिट कार्ड खरीदारी पर बीमा कवच, नकदी की वापसी और छुट्टियों पर जाने पर छूट जैसे अतिरिक्त फायदे देते हैं।

नुकसान

1. क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करने में आसानी की वजह से आप आवेगपूर्ण खरीदार बन सकते और आवश्यकता से अधिक खर्च करते हैं। कार्ड आपको वे वस्तुएं और सेवाएं खरीदने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिनके लिए वास्तव में हमारी सामर्थ्य नहीं है।
2. यदि आप सावधानी से प्रयोग न करें तो ऊँची ब्याज दर और अन्य लागतों के कारण क्रेडिट कार्ड, अपेक्षाकृत रूप से ऋण प्राप्त करने का मँहगा विकल्प है।
3. खो जाने या चोरी हो जाने पर इसका दुरुपयोग हो सकता है और आपको असुविधा हो सकती है।
4. अनेक क्रेडिट कार्ड प्रयोग करने से आप कर्ज में डूब सकते हैं।
5. क्रेडिट कार्ड के प्रयोग से, विशेष रूप से दूर बैठकर प्रयोग करने से जोखिम रहता है क्योंकि कार्ड का ब्योरा गलत हाथों

में जा सकता है और कार्ड से कपटपूर्ण खरीदारी हो सकती है। कपटपूर्ण या अनधिकृत प्रयोग का प्रतिवाद करने, उनकी जाँच करने और समाधान में महीनों लग जाते हैं।

डेबिट कार्ड

एक डेबिट कार्ड, कार्ड धारक का उसके खाते से इलेक्ट्रॉनिक संपर्क स्थापित कराता है। डेबिट कार्ड आपको एटीएम से तुरंत नकदी आहरित करने में मदद करता है। क्रेडिट कार्ड से भिन्न, जब आप डेबिट कार्ड का प्रयोग करते हैं तो आपके बैंक खाते से धन तुरंत आहरित हो जाता है।

डेबिट कार्ड के फायदे

- निधियाँ आहरित करने के लिए आपको बैंक तलाशने की आश्यकता नहीं होती है।
- आप लगभग सभी जगह अपने डेबिट कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं।
- आपके खर्च पर कोई मासिक ब्याज प्रभार नहीं है।
- इसे आप किसी एटीएम में प्रयोग कर सकते हैं।

डेबिट कार्ड के नुकसान

- यह क्रेडिट कार्ड की तुलना में कम सुरक्षित है क्यों कि यह सीधे आपके खाते से संपर्क स्थापित कर लेता है।
- यदि आपके खाते में निधियाँ कम हों तो खरीदारी की राशि अधिक होने की स्थिति में आप डेबिट कार्ड से भुगतान नहीं कर सकते हैं।
- यदि डेबिट कार्ड चोरी हो गया तो उसका दुरुपयोग हो सकता है।

उलझे–पुलझे शब्द

उलझे–पुलझे शब्द	संकेत	हल
टडिक्रे र्डका	एक प्लास्टिक कार्ड, जिससे धारक नकदी के बिना वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी कर सकता है। इसे ऋण खरीद भी कहते हैं।	
टबिडे र्डका	प्लास्टिक भुगतान कार्ड, जिससे धारक किसी वित्तीय संस्था में अपने बैंक खाते से संपर्क स्थापित कर सकता है।	

1) .... कार्ड धारक पर देयता उत्पन्न करता है:

क) क्रेडिट कार्ड ख) डेबिट कार्ड
ग) प्लास्टिक कार्ड घ) पहचान कार्ड

2) .... की सहायता से आपके बैंक खाते से तुरंत धन आहरित की जा सकती है।

क) क्रेडिट कार्ड ख) डेबिट कार्ड
ग) प्लास्टिक कार्ड घ) पहचान कार्ड

3) एक क्रेडिट कार्ड में विवरण की तारीख से तात्पर्य निम्नलिखित से है:

क) वह तारीख, जिस तक हमें भुगतान करना है ख) बिल बनाने की तारीख
ग) कार्ड जारी करने की तारीख घ) बिल की अवधि

4) किसी क्रेडिट कार्ड विवरण में कुल देय राशि का अर्थ है:

क) बिल की कुल देय राशि ख) देय न्यूनतम राशि, जिसका भुगतान किया जाना चाहिए
ख) बिल बनाने की राशि घ) ऋण सीमा

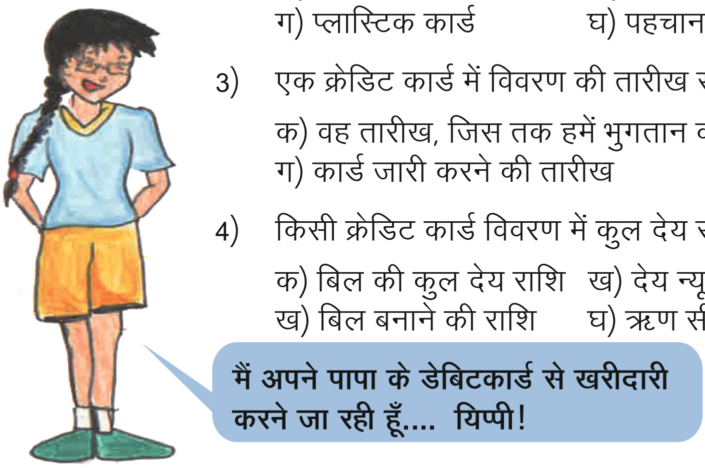

विषय : अंग्रेजी
कक्षा : नौ
सत्र : 1

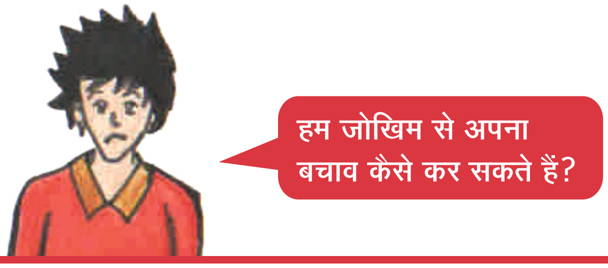

जोखिम और बचाव

शीतल और सिमरन एक ही कक्षा की सहेलियाँ हैं और साथ–साथ घर जाती हैं। शीतल सदैव अपने पास छाता रखती है और सिमरन उसका मजाक बनाती है। परंतु शीतल मुस्कुरा देती है और कहती है क्योंकि यह धूप और वर्षा से उसकी रक्षा करता है इसलिए अपने स्कूल बैग में पुस्तकों के साथ इसे लेकर चलने में उसे अतिरिक्त बोझ नहीं महसूस होता है। एक दिन अचानक बारिश होने लगी और सिमरन बचाव करने की कभी चिंता नहीं करती है इसलिए उस दिन भी उसके पास न तो कोई बरसाती कोट था और न छाता। शीतल ने उससे कहा कि वह उसके छाते के अंदर आ कर उसके घर चले। शीतल के घर पहुँच कर सिमरन ने देखा कि शीतल के पिता सावधानी से कागजों के एक गुच्छे को छाँट रहे थे और उसमें से कुछ नोट कर रहे थे। शीतल की मम्मी ने बच्चों से अपने हाथ धोने के लिए कहा और उन्हों ने कोई ज्यादा शोर किए बिना, उनके लिए नाश्ता और अल्पाहार तैयार किया। जब सिमरन ने शीतल की मम्मी से पूछा कि चाचाजी (अंकल) इतने गंभीर क्यों लग रहे हैं तो वह हँस कर बोलीं, ''वास्तव में तुम्हारे चाचाजी एक बीमा पॉलिसी की खरीद को अंतिम रूप दे रहे हैं।'' ''बीमा पॉलिसी क्या है ?'' सिमरन ने उनकी ओर देखते हुए पूछा। शीतल की मम्मी ने स्पष्ट किया, ''जिस प्रकार एक बरसाती (रेन कोट) और छाता बारिश से बचाव करता है, उसी प्रकार बीमा अप्रत्याशित जोखिमों से बचाव प्रदान करता है।'' "जोखिम क्या होता है ?'' सिमरन ने पूछा। शीतल की मम्मी ने कहा, ''देखो, सिमरन, हमारे जीवन में हमारे सामने बहुत से जोखिम आते हैं। उदाहरण के लिए बारिश में भींग जाओ तो तुम बीमार पड़ सकती हो। यहाँ बीमारी का जोखिम है। बरसात के कारण बिजली का परिपथ लघु (शार्ट सर्किट) हो सकता है। ऐसी स्थिति में हमारे एलईडी टीवी में तथा अन्य घरेलू उपकरणों में इलेक्ट्रॉनिक खराबी का जोखिम है। गैराज में खड़ी हमारी कार के चोरी हो जाने का जोखिम है और सड़क पार करते समय दुर्घटना होने का जोखिम है। इसलिए जोखिम हमारी जिंदगियों का अंतर्निहित भाग है। अनेक बार ऐसी घटनाएं या दुर्घटनाएं हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं। क्योंकि हम इन अधिकांश जोखिमों को टाल नहीं सकते हैं इसलिए बीमा खरीदकर हम इन्हें बीमा कंपनी की ओर मोड़ देते है।'' सिमरन ने पूछा ''यह कैसे होता है ?'' शीतल की मम्मी ने समझाया, ''कल्पना करो कि बरसात बहुत अधिक है, जिससे बाढ़ आ गई और हमारी कार पानी में डूब जाती है और उसके कुछ अनिवार्य भाग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिनकी मरम्मत की आवश्यकता हो सकती है। तब चूँकि हमने अपनी कार का बीमा कराया है, इसलिए बीमा कंपनी, मरम्मत के खर्चे की प्रतिपूर्ति करेगी।'' सिमरन ने बड़ी मासूमियत से पूछा, ''परंतु चाचीजी बरसात को रोका क्यों नहीं जाता?'' और तभी उसने छींका। शीतल की मम्मी ने कहा, ''अब देखो, क्या तुम्हारी छींक को रोका जा सकता है?'' यह सुन कर सभी हँस दिए ।

1) शीतल स्वयं का .... से बचाव करने के लिए अपने साथ छाता ले कर चलती है।
   क) हवा   ख) धूल
   ग) बरसात   घ) पढ़ाई

2) .... अप्रत्याशित जोखिमों से बचाव देता है।
   क) बीमा   ख) एक छाता
   ग) बीमारी   घ) दवा

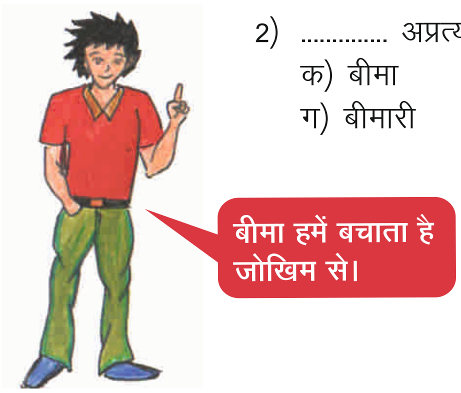

विषय : अंग्रेजी
कक्षा : नौ
सत्र : 2

प्राकृतिक आपदाओं से अपना बचाव करने का समय

प्राकृतिक आपदाएं

भारत में नियमित अंतरालों पर भीषण प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में, जो देश के अलग–अलग भागों को प्रभावित करती हैं, बाढ़, चक्रवात, भूकंप और सूखे से जान और माल की अत्यधिक क्षति होती है तथा लू, शीतलहर, हिमस्खलन, भूस्खकलन, आग और महामारियों से भी हर वर्ष जीवन और संपत्ति की बहुत अधिक हानि होती है। वर्ष 1993–94 का लातूर का भूकंप, वर्ष 1999 का उड़ीसा का महाचक्रवात, 2001 का भुज का भूकंप, सितंबर 2004 का सुनामी और 2013 की उत्तराखण्ड की बाढ़ कुछ सर्वाधिक भीषण प्राकृतिक आपदाएं रही हैं, जिन्होंने देश को प्रभावित किया है।

भारत की मुख्य अति संवेदनशील स्थितियाँ

- राज्य, विशेष रूप से पूर्वोत्तर और गुजरात चक्रवात के प्रति अति संवेदनशील हैं।
- 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि बाढ़ों के प्रति अति संवेदनशील है।
- निवल रोपित क्षेत्र का 68 प्रतिशत सूखा प्रवण है।
- कुल क्षेत्रफल का 55 प्रतिशत भूकंप क्षेत्र III–IV में आता है और भूकंपों के लिए अति संवेदनशील है।
- अधो हिमालय/पश्चिमी घाट भूस्खकलन के लिए अति संवेदनशील हैं।

आपदाओं का वित्तपोषण, दशकों तक राज्य/केंद्र सरकारों के बजटों से निधियों के दिक् परिवर्तन (डायवर्जन) से बने प्रतिक्रयावादी दृष्टिकोंण पर निर्भर रहा है। इस प्रकार ''घटना के बाद'' निधियाँ उपलब्ध कराने का मार्ग अक्षम, आमतौर पर कमजोर लक्षण वाला एवं अपर्याप्त होता है। जबकि जोखिम वित्तपोषण के लिए बीमा जैसे अधिक सायास दृष्टिकोंण को प्रोत्साहित करने के प्रयास होने चाहिए।

व्यक्तियों की रक्षा

प्रकृति की आपदाओं के परिणामस्वरूप एकमात्र कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु के बाद स्वाभाविक रूप से बहुत से परिवार मँझधार में फँस कर रह जाते हैं। इस प्रकार जीवन बीमा पॉलिसियों की मदद से कोई व्यक्ति' कम से कम वित्तीय मुद्दे पर आपदा के बाद के झटकों से उबर सकता है।

गृहस्थी और व्यापारिक ढाँचे की सुरक्षा

प्रभावित जनता की संपत्तियों के विनाश से न केवल लोगों के जीवन भर की आस्तियाँ चली जाती हैं बल्कि उनकी अर्जक क्षमता भी प्रभावित होती है। इसलिए संपत्ति बीमा बहुत महत्वपूर्ण है।

लोक देयता कवच

लोक देयता बीमा अधिनियम, 1991 में खतरनाक रसायनों का प्रयोग करने वाले सभी प्रतिष्ठानों के लिए यह अधिदेशात्माक बना दिया है कि वे औद्योगिक दुर्घटनाओं के तृतीय पक्ष के पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करें। सार्वजनिक उपयोग के सभी स्थानों जैसे मॉल, सिनेमाघरों/थियेटरों, अस्पतालों, होटलों और धार्मिक स्थलों के लिए उसी प्रकार के बीमा कराने की आवश्यकता है।

फसलों और पशुधन की रक्षा

हर वर्ष लाखों एकड़ का फसली क्षेत्रफल आपदाओं से प्रभावित होता है और उनसे हजारों करोड़ों की हानि होती है। भारत का पशुधन क्षेत्र विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्र है और देश की ग्रामीण जनसंख्या के कल्याण में उसकी अहम भूमिका रहती है। फसलों और पशुधन दोनों का बीमा कराने से, सरकार या किसी अन्य एजेंसी से बाह्य सहायता की ओर/वित्तीय मदद की ओर देखे बिना ही आपदाओं के बाद वित्तीय हानि की भरपाई करने में मदद मिलती है।

(Source: Planning Commission of India, Tenth Five Year Plan document)

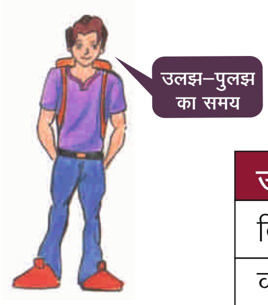

उलझे–पुलझे शब्द

उलझे–पुलझे शब्द	संकेत	हल
तिकृकप्रा दाआएंप	उदाहरणः भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सूखा	
कंभूप	पृथ्वी का तेजी से हिलना	
वाक्रतच	हवाओं का कम भूमंडलीय दबाब की ओर धूमना	
ढ़बा	अपनी सामान्य सीमा से अधिक मात्रा में पानी का उफान	
खासू	अधिक समय तक कम बरसात या वर्षा न होने से पानी की कमी	

1) लोक देयता बीमा अधिनियम, ... में खतरनाक रसायनों का प्रयोग करने वाले सभी प्रतिष्ठानों के लिए यह अधिदेशात्मक बना दिया है कि वे औद्योगिक दुर्घटनाओं के तृतीय पक्ष के पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करें।

क) 1991 ख) 1992

ग) 1990 घ) 1993

विषय : अर्थशास्त्र
कक्षा : नौ
सत्र : 1

भारतीय रिज़र्व बैंकः केंद्रीय बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), केंद्रीय बैंक अर्थात् हमारे देश की मौद्रिक और बैंकिंग प्रणाली का शीर्षस्थ संगठन है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, ब्रिटिश राज के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के उपबंधों के अनुसार 01 अप्रेल 1935 को हुई थी। प्रारंभ में आरबीआई का गठन निजी शेयरधारकों के बैंक के रूप में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के सामान्य संचालन और अधीक्षण का कार्य, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में केंद्रीय निदेशक मंडल को सौंपा गया है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नै और मुंबई स्थित चार स्थानीय निदेशक मंडल केंद्रीय निदेशक मंडल की सहायता करते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक की उद्देशिका (प्रिएम्बल) में आरबीआई के मूल कार्यों का वर्णन किया गया है अर्थात् बैंक नोटों के निर्गम को विनियमित करना, भारत में मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना और मुद्रा और ऋण प्रणाली का देश के सर्वोच्च हित में संचालन करना।

भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य कार्य नीचे प्रस्तुत हैं:

क) **मुद्रा जारी करना:** एक रुपया के नोट और सिक्कों को छोड़कर, भारतीय रिजर्व बैंक भारत में करेंसी या मुद्रा जारी करने का एकमात्र प्राधिकारी है। भारतीय रिजर्व बैंक नई मुद्रा (करेंसी) जारी करता है और परिचलन (सर्कुलेशन) के अयोग्य पुरानी मुद्रा को विनष्ट करता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया प्रत्येक नोट (रु.10, रु.20, रु.50, रु.100, रु. 500 और रु.1,000) भारत में किसी भी स्थान पर विधिक चलार्थ अर्थात् विधिक टेंडर अर्थात् विधिमान्य निविदा होगा। फिलहाल सिक्का करण हो जाने के कारण, रु.2, रु.5 मूल्यवर्ग के नोट मुद्रित नहीं किए जाते हैं। परंतु केंद्र सरकार ने हाल ही में रु.1 के नोट मुद्रित किए हैं। पहले जारी किए गए रु.1, रु.2 और रु.5 मूल्यवर्ग के नोट जो अभी परिचलन में हैं, वे पूरे देश में विधिक टेंडर बने रहेंगे और लेन–देन के लिए स्वीकार्य हैं। पूरे देश में कोई इन नोटों को स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता है। चूँकि सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं इसलिए वे सरकार की देयता है और रु.1 का नोट भी भारत सरकार की देयता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2005 से पूर्व जारी किए गए सभी बैंक नोटों को परिचलन से वापस लेने का निर्णय लिया था क्योंकि उनमें 2005 के बाद मुद्रित बैंक नोटों की अपेक्षा कम सुरक्षा विशेषताएं थीं। नोटों की पुरानी श्रृंखला (सीरीज) को परिचलन से वापस लेना मानक अंतरराष्ट्रीय पृथा है।

ख) **सरकार का बैंकर:** व्यक्तियों, कारोबारों और बैंकों की तरह सरकारों को भी जनता से संसाधन जुटाने सहित दक्षतापूर्वक और कारगर ढंग से अपने वित्तीय लेन–देन करने के लिए एक बैंकर की आवश्याकता होती है। भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्र सरकार का बैंकर है और यह उन राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में भी कार्य करता है, जिन्होंने उसके साथ करार किया है। भारतीय रिजर्व बैंक उनके खाते रखता है, इन खातों में धनाराशियाँ प्राप्त करता और उनमें से भुगतान करता है तथा सरकारी निधियों के अंतरण की सुविधा प्रदान करता है। सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के पास अपने चालू खाते में अपने नकदी शेष रखती है। भारतीय रिजर्व बैंक को लोक ऋण का प्रबंध करने का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है। ऋण प्रबंधक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक, लागत सार्थक और समयोचित रूप में लोक ऋण की अपेक्षित धन राशि जुटाने के उद्देश्य से सरकार के घरेलू ऋण की व्यवस्था करता है।

ग) **बैंकों का बैंकर:** व्यक्तिगत उपभोक्ताओं की भाँति बैंकों को भी निधियों के अंतरण और अंतर बैंक लेन–देन करने जैसे अन्य बैंकों से उधार लेने और उन्हें उधार देने के लिए अपने स्वयं के तंत्र की आवश्यकता होती है। बैंकों के बैंकर के रूप में यह भूमिका, भारतीय रिजर्व बैंक पूरी करता है। भारत में कार्य कर रहे सभी बैंकों का भारतीय रिजर्व बैंक में खाता होता है। बैंकों के बैंकर के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है:

- अंतर बैंक बाध्यताओं का समाशोधन और निपटान
- बैंकों के लिए निधि अंतरण के कार्यक्षम साधन उपलब्ध कराना
- सांविधिक प्रारक्षित अपेक्षाओं के प्रयोजनार्थ बैंकों के खाते रखना
- उधार देने के अंतिम आसरे के रूप में काम करना

घ) **ऋण और धन आपूर्ति का नियंत्रक:** भारतीय रिजर्व बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य, देश के आर्थिक हित में कुल धन आपूर्ति और बैंक ऋण को नियंत्रित करना है। भारतीय रिजर्व बैंक इन प्रयोजनों के लिए मौद्रिक नीति प्रतिपादित करता (बनाता) है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- मूल्य स्थिरता कायम रखना
- आर्थिक विकास के समर्थन हेतु अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की ओर पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना
- वित्तीय स्थिरता
- भारतीय रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से ऋण एवं धनापूर्ति को नियंत्रित करता है।

भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति का प्रतिपादन करने और उसे कार्यान्वित करने के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष अनेक उपायों का प्रयोग करता है।

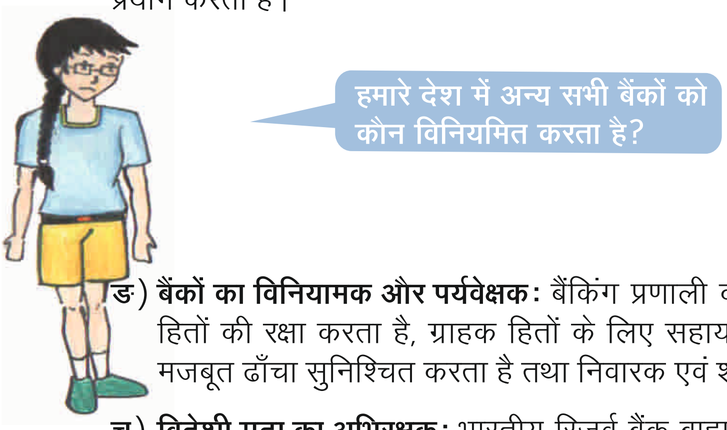

ङ) **बैंकों का विनियामक और पर्यवेक्षक:** बैंकिंग प्रणाली के विनियामक और पर्यवेक्षक के रूप में रिजर्व बैंक जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करता है, ग्राहक हितों के लिए सहायक, बैंकिंग परिचालनों के व्यवस्थित विकास एवं संचालन हेतु एक मजबूत ढाँचा सुनिश्चित करता है तथा निवारक एवं शोधक उपायों के द्वारा समग्र वित्तीय स्थिरता कायम रखता है।

च) **विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक:** भारतीय रिजर्व बैंक बाह्य क्षेत्र से संबंधित लेन–देनों को विनियमित करके और विदेशी मुद्रा बाजार के विकास की सुविधा प्रदान कर के घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार में सहज कार्य संचालन और व्यवस्थित परिस्थितियाँ सुनिश्चित करते हुए विदेशी मुद्रा बाजार के विनियमन और विकास में मुख्य भूमिका का निर्वाह करता है। इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा आस्तियाँ और देश के स्वर्ण भंडारों का प्रबंध करता है।

छ) **भुगतान और निपटान प्रणाली का विनियामक:** भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियामक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक, सुरक्षित, सुदृढ़ और दक्ष भुगतान एवं निपटान क्रियाविधियों के विकास और कार्य संचालन पर ध्यान केंद्रित करता है।

ज) **वित्तीय स्थिरता को कायम रखता है:** भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय प्रणाली की सतत् निगरानी करते हुए यह कार्य करता है।

झ) **विकासकारी भूमिका:** इस भूमिका में भारतीय रिजर्व बैंक, अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों के लिए ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करता है, देश के वित्तीय ढाँचे के निर्माण के उद्देश्य से संस्थाएं स्थापित करता है, सामर्थ्य–सम्मत वित्तीय सेवाओं का विस्तार करता है और वित्तीय शिक्षण एवं साक्षरता को प्रोत्साहित करता है।

प्रकरण अध्ययन

यह कल्पना करें कि राम एक बैंक में रु.1,000 जमा करता है। बैंक उक्तर रु.1,000 का 20 प्रतिशत ग्राहकों की आहरण आवश्यकताओं के लिए अपने पास रखता है और शेष राशि को सोहन को उधार दे देता है। अब सोहन इस राशि को अपने बैंक में जमा करता है। सोहन का बैंक भी इस धन राशि का 20 प्रतिशत अपने पास रखता है और बची राशि को मोहन को उधार दे देता है। आप बताएं कि इस प्रक्रिया में कितना धन सृजित हुआ? अब पुनः कल्पना करें कि देश का केंद्रीय बैंक, सभी बैंकों से कहता है कि उपर्युक्त उदाहरण में 20 प्रतिशत की बजाय 25 प्रतिशत अपने पास रखें। नई प्रारक्षित अपेक्षाओं में समान लेन–देनों में कितनी निधियों का सृजन होगा ? इन दोनों परिस्थितियों की तुलना करते हुए, किस परिस्थिति में अधिक धन सृजित होगा?

नई दिल्ली में भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा पर कृषि के माध्यम से समृद्धि को चित्रित करती हुई यक्षिणी की प्रतिमा

अभ्यास :

1. हमें विदेशी मुद्रा कहाँ से प्राप्त होती है और इस पर किसका पर्यवेक्षण रहता है ?

....

2. भारतीय रिजर्व बैंक के गठन की व्याख्या कीजिए।

....

....

3. हमें भारतीय रिजर्व बैंक की सील पर क्या दिखाई देता है ?

....

4. भारत में रु.1 का नोट और सिक्के कौनसी एजेंसी जारी करती है ?

....

5. न्यूनतम प्रारक्षित प्रणाली की व्याख्या करें।

....

....

6. भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकरों के बैंकर के रूप में कैसे कार्य करता है ?

....

....

7. मुद्रास्फीतिकारी दबाब के कारण भारतीय रिजर्व बैंक धन की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक अपने निम्नलिखित उपायों का प्रयोग कैसे करेगा ?:

1) खुले बाजार परिचालन

....

2) नकदी प्रारक्षित अनुपात

....

3) सांविधिक चल–निधि अनुपात

....

4) बैंक दर

....

8. यदि वाणिज्य बैंक कुल रु.1,00,000 की जमाराशियों में से अपने ग्राहकों को रु.80,000 उधार देते हें तो भारतीय रिजर्व बैंक की प्रारक्षित अपेक्षा क्या है ?

....

भाग 2: बज़ट बनाना

एक नमूना बजट :

एक पूर्णकालिक पर्यटन मार्गदर्शक सुनील कुमार का मासिक वेतन रु.15,000 है। अपने करों और स्वास्थ्य बीमा का भुगतान करने के बाद उसका निवल वेतन रु.12,000 है। सुनील का मासिक बजट कुछ इस प्रकार होगा:

खर्च	राशि (नामे)	आय	राशि (जमा)
नियत खर्चे			
मकान का किराया	2,500	वेतन	12,000
रख–रखाव बिल	400	बचत पर ब्याज	200
टेलीफोन बिल	250	उपहार स्वरूप आय	500
वाहन व्यय	500	बीमा किस्त	200
परिवर्तनीय खर्चे			
खाना	4,500		
दवाएं	400		
मनोरंजन	600		
कपड़े	500		
विविध खर्च	200		
बचत	2650		
कुल योग	12,700	**कुल योग**	12,700

अपने वित्तीय संसाधनों का बज़ट बनाना

जीवन के हर पहलू में हर किसी को संतुलन की आवश्यकता होती है और जब इसमें धन की बात शामिल हो तो और अधिक आवश्यकता होती है। हम सब को बहुत बुद्धिमानी से खर्च करना चाहिए ताकि हम जितना अर्जित करते हैं, कभी उससे अधिक खर्च न हो और अपनी आय का कुछ भाग भविष्य के लिए बचा सकें। हमें खर्च करने के अपने निर्णय बहुत सोच विचार कर लेने चाहिए, परंतु यह कोई आसान कार्य नहीं है क्योंकि कभी कभी जब हम कोई ऐसी वस्तु देखते हैं, जो वास्तव में हमें बहुत पसंद हो तो खर्च करने की उत्तेजना हमें अभिभूत कर देती है। ऐसी परिस्थिति में हम अपनी आय भूल जाते हैं और हमारे खर्च हमारी आय से अधिक हो जाते हैं। इसलिए ऐसी परिस्थति से बचने के लिए हम सब को अपना बजट बनाना चाहिए अर्थात पूरे महीने अपने खर्चों और आय का पता रखना चाहिए और महीने के अंत में दोनों का मिलान करना चाहिए कि हमारी आय हमारे खर्चों से अधिक है या इसका उल्टा है। उसके बाद आवश्यक उपाय करने चाहिए। आगे एक मासिक बजट का नमूना दिया हुआ है।

प्रकरण अध्ययन

पीहू की आय और खर्चे

पीहू एक ग्रीटिंग्स कार्ड कंपनी में अंशकालिक रूप से काम करती है और उसकी निवल मासिक आय रु.15,000 है।

उसके योजनाबद्ध नियमित खर्चों में निम्नलिखित शामिल है:

- रु.4,500 गृह किराया (वह अपनी दो सहेलियों के साथ फ्लैट में रहती है)
- रु.2,000 वाहन व्यय
- रु.1,000 मोबाइल फोन

उसके योजनाबद्ध परिवर्तनशील खर्चों में निम्नलिखित शामिल है:

- रु.2,500 खाने के लिए
- रु.1,500 कपड़ों के लिए
- रु.1,000 मनोरंजन के लिए
- रु.500 वैयक्तिगत वस्तुएं
- रु.2,000 उच्च शिक्षा के लिए बचत

परंतु पीहू के वास्तकि खर्चे इस प्रकार हैं:

- रु.4,500 गृह किराया
- रु.1,500 ↓ वाहन व्यय
- रु.1,250 ↑ मोबाइल पर
- रु.2,750 ↑ खाने पर
- रु.2,000 ↑ कपड़ों पर
- रु.1,000 मनोरंजन पर
- रु. 1,000 ↑ वैयक्तिक वस्तुओं पर
- रु.1,000 ↓ उच्च शिक्षा के लिए बचत

1. पीहू के योजनाबद्ध खर्चों और वास्तविक खर्चों में क्या अंतर है ?

   ....

2. उसने किन क्षेत्रों में अधिक खर्च किया ?

   ....

3. उसने किन क्षेत्रों में अपनी योजना से कम खर्च किया ?

   ....

4. बचत के लिए उसके पास महीने के अंत में कितनी धन राशि शेष रही?

   ....

उलझे–पुलझे शब्द

उलझे–पुलझे शब्द	संकेत	हल
जबट	किसी नियत समयावधि के लिए आय और व्यय का अनुमान	
दीकन रप्राक्षित तनुअपा	वाणिज्य बैंकों को अपनी कुल जमाराशियों का एक भाग प्रारक्षित राशि के रूप में देश के केंद्रीय बैंक के पास रखना होता है।	
सांविधिक चलनिधि अनुपात	वाणिज्य बैंकों को को कुछ धनराशि स्वर्ण या प्रतिभूतियों के रूप में रखनी होती है।	

1) आरबीआई का पूरा नाम है:

क) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ख) रूरल बैंक ऑफ इंडिया
ग) रीजनल बैंक ऑफ इंडिया घ) रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया

2) भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना .... को हुई थी।

क) 1 अप्रैल 1934 ख) 1 अप्रैल 1935
ग) 1 अप्रैल 1936 घ) 1 अप्रैल 1933

3) भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण .... को हुआ था।

क) 1 जनवरी 1949 ख) 1 जनवरी 1948
ग) 1 जनवरी 1951 घ) 1 जनवरी 1950

4) भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्षता......................द्वारा की जाती है।

क) भारत सरकार ख) भारत के राष्ट्रपति
ग) आरबीआई के गवर्नर घ) भारत के प्रधान मंत्री

5) भारतीय रिजर्व बैंक के मूल कार्य हैं:

क) बैंक नोट जारी करना ख) देश के लिए बजट तैयार करना
ग) भारत के अन्य सभी बैंकों की निगरानी करना
घ) क) और ग) दोनों

6) भारतीय रिजर्व बैंक अपनी .... के द्वारा ऋण एवं धन आपूर्ति का नियंत्रण करता है।

क) राजकोष नीति ख) बैंकिंग नीति
ग) मौद्रिक नीति घ) लोक ऋण नीति

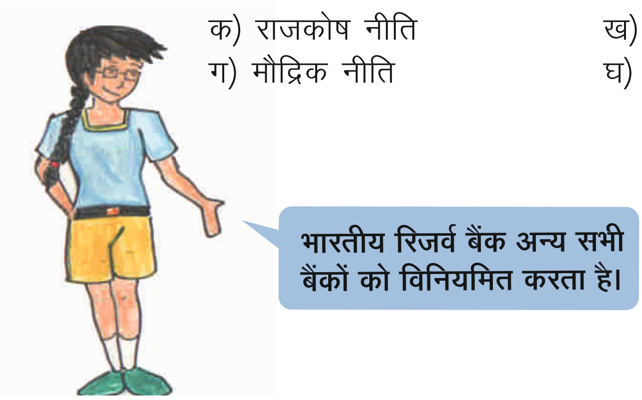

विषय : अर्थशास्त्र
कक्षा : नौ
सत्र : 2

भाग 1 : बैंक और ऋण

ऋणों के प्रकार

ऋण वह धनराशि है, जिसे कोई उधारकर्ता एक नियत समयवधि में लौटाने का वचन देकर, उधारदाता से लेता है। विभिन्न प्रकार के ऋणों पर बैंकों द्वारा एक निश्चित ब्याज दर नियत की जाती है। दोनों पक्षों के बीच करार के अनुसार उधारकर्ता ब्याज और धन की चुकौती किश्तों में करता है। भारत में सामान्य प्रकार के ऋण निम्निलिखित हैः

गृह ऋण

हर व्यक्ति का अपने स्वयं के घर का सपना होता है। परंतु घर अर्थात् मकान या फ्लैट खरीदने के लिए बड़ी धनराशि की आवश्यकता होती है, जिसकी बहुत से लोगों में सामर्थ्य नहीं होती है। इस कमी को पूरा करने के लिए बैंक गृह ऋण प्रदान करते हैं।

वैयक्तिक ऋण

वैयक्तिक ऋणों का उद्देश्य लोगों की वैयक्तिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। लोग इस धन का उपयोग अपनी इच्छानुसार किसी भी कार्य के लिए कर सकते हैं। वे परिवार के साथ छुट्टी मनाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। तुलनात्मक रूप से इस प्रकार के ऋण पर ब्याज दर अधिक होती है।

वाहन ऋण

वाहन ऋण या कार ऋण, कार या मोटर साइकल रखने का सपना पूरा करते हैं। यह एक जमानती ऋण है इसलिए यदि किश्तों का भुगतान नहीं होता है तो उधारदाता को वाहन ले जाने का अधिकार है।

शिक्षा ऋण

बैंक, उन विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण देते हैं, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। एक बार जब विद्यार्थी अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लेता है और धनार्जन शुरू करता है तो वह ऋण की चुकौती कर सकता है।

स्वर्ण ऋण

जमानत के रूप में भौतिक स्वरूप में सोना बैंकों के पास रखने के बदले में, बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थाओं से स्वर्ण–ऋण प्राप्त किया जा सकता है। ऋण प्राप्त करने का यह सबसे आसान तरीका है, क्योंकि ऋण, उधारकर्ता द्वारा बैंक या वित्तीय संस्था के पास रखे गए वास्तविक स्वर्ण के आधार पर दिया जाता है।

कृषि ऋण

कृषकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंक विभिन्न प्रकार के ऋण देते हैं। उक्त ऋण का प्रयोग कर किसान बीज, कीटनाशक दवाएं, ट्रैक्टर और कृषि के लिए आवश्यक अन्य उपकरण खरीद सकते हैं और एक बार जब उनकी फसल पक कर उनके घर में आती है तो वे ऋण चुका सकते हैं।

ओवर ड्राफ्ट

ओवर ड्राफ्ट एक प्रकार का ऋण है, जिसमें बैंक, अपने ग्राहकों को उनके खाते में शेष धनराशि से अधिक धन आहरित करने की अनुमति प्रदान करते हैं।

व्यापार ऋण

इस प्रकार का ऋण या तो वर्तमान व्यापार के लिए या उन लोगों को दिया जाता है, जो नया व्यापार शुरू कर रहे होते हैं। यह उधारकर्ता की ऋण योग्यताओं पर आधारित होता है। ऐसा ऋण प्राप्त करने के लिए उधारकर्ता के पास बैंक को विश्वास

दिलाने के लिए सुस्पष्ट व्यापार योजना होनी चाहिए।

ऋण के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया

ऋण प्राप्त करना उतना जटिल कार्य नहीं है, जितना लोग सोचते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंक को केवल असली दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने चाहिए और यह कार्य समय पर किया जाना चाहिए। भारत में भिन्न प्रकार के ऋण के लिए भिन्न प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

ऋण के लिए आवेदन करने के कुछ चरण इस प्रकार हैं:

- **ऋण आवेदन फॉर्म**

  ऋण के लिए बैंक एक आवेदन फॉर्म उपलब्ध कराता है। इसे ठीक प्रकार से भरें और जिस प्रकार के ऋण की आपको आवश्यकता है, उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।

- **भारतीय ऋण सूचना ब्यूरो लि. से जाँच**

  उधारकर्ता की ऋण योग्यता की जाँच के लिए बैंक एक सीआईबीआईएल (सिबिल) जाँच कराता है। सिबिल अर्थात् भारतीय ऋण सूचना ब्यूरो लि. व्यक्तियों के ऋणों और क्रेडिट कार्डों से संबंधित सूचना प्राप्त करता और उसका अभिलेख रखता है।

- **अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करना**

  ग्राहकों को अपनी पहचान के दस्तावेज और अन्य प्रमाणपत्र बैंक को देने होते हैं। ऋण की मंजूरी में शामिल यह एक महत्वपूर्ण क्रियाविधि है।

- **ऋण का अनुमोदन**

  उधारकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों की समीक्षा करने के बाद, बैंक या तो ऋण आवेदन का अनुमोदन कर सकता है या उसे रद्द कर सकता है।

1) सीआईबीआईएल का पूरा नाम है:
   क) करेंट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लि. ख) सेंट्रल इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लि.
   ग) क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लि. घ) को–ऑपरेशन ऑफ इंडियन बैंक इन्फॉर्मेशन लि.
2) किसी बैंक से भौतिक स्वरूप में स्वर्ण के बदले में प्राप्त ऋण को............कहते हैं।
   क) स्वर्ण ऋण ख) शिक्षा ऋण
   ग) आभूषण विक्रेता ऋण घ) गृह ऋण
3) एक प्रकार का ऋण है, जिसमें बैंक अपने ग्राहकों को उनके खाते में शेष धनराशि से अधिक धन आहरित करने की अनुमति प्रदान करते हैं।
   क) स्वर्ण ऋण ख) शिक्षा ऋण
   ग) ओवरड्राफ्ट घ) गृह ऋण
4) उन विद्यार्थियों को दिया जाने वाला ऋण, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं।
   क) स्वर्ण ऋण ख) शिक्षा ऋण
   ग) आभूषण विक्रेता ऋण घ) गृह ऋण
5) मकान खरीदने के लिए प्राप्त ऋण .... होता है।
   क) स्वर्ण ऋण ख) शिक्षा ऋण
   ग) आभूषण विक्रेता ऋण घ) गृह ऋण
6) वैयक्तिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो ऋण होता है वह .... ऋण होता है।
   क) स्वर्ण ऋण ख) शिक्षा ऋण
   ग) वैयक्तिक ऋण घ) गृह ऋण
7) वह ऋण जो कार या मोटर साइकल या अन्य वाहन रखने का सपना पूरा करते हैं .... हैं।
   क) स्वर्ण ऋण ख) शिक्षा ऋण
   ग) वाहन ऋण घ) गृह ऋण

भाग 2 : मुद्रास्फीति

मुद्रास्फीति – उसके कारण और प्रभाव

मुद्रास्फीति क्या है ?

अपने दादा–दादी को यह कहते हुए सुना होगा की जब वे आप लोगों की उम्र के थे तो स्थितियाँ कितनी अलग थीं। सिनेमा देखने के लिए मात्र एक रुपया खर्च होता था। इन सब वर्षों में वस्तुओं के मूल्य बहुत बढ़ गए हैं। यह मुद्रास्फीति है। किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में निरंतर वृद्धि मुद्रास्फीति है।

मुद्रास्फीति की माप कैसे की जाती है ?

गणितीय रूप से देखा जाए तो मुद्रास्फीति और कुछ नहीं बल्कि मूल्य वृद्धि की दर है। मुद्रास्फीति की माप किसी मूल्य–सूचकांक जैसे थोक मूल्य सूचकांक (डब्लूपीआई) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) की दर में वृद्धि की गणना करके की जाती है। थोक मूल्य सूचकांक (डब्लूपीआई) थोक वस्तुओं के एक प्रतिनिधि समूह का मूल्य है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक गृहस्थ लोगों/गृहस्थियों द्वारा खरीदी जाने वाली उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं के एक समूह के मूल्य–स्तर में जो परिवर्तन होते हैं, उनकी माप करता है। थोक मूल्य सूचकांक (डब्लूपीआई) का भारत में मुद्रास्फीति की माप में व्यापक रूप से प्रयोग होता है।

मुद्रास्फीति के क्या –क्या प्रकार हैं ?

- **मांग आधारित मुद्रास्फीति :**

  जब किसी अर्थव्यवस्था में सकल मांग, सकल आपूर्ति से अधिक हो जाती है तो मांग आधारित मुद्रास्फीति होती है। ऐसी स्थिति में जब अर्थव्यवस्था में मांग अधिक होती है तो उत्पादक अपने उत्पादों का मूल्य बढ़ा देते हैं और अधिक लाभराशियाँ प्राप्त करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि आपूर्ति की तुलना में मांग अधिक चल रही है।

- **लागत आधारित मुद्रास्फीति**

  लागत आधारित मुद्रास्फीति तब होती है, जब निविष्टियों अर्थात कच्चे माल आदि के मूल्य में वृद्धि होती है अर्थात जब लागत अधिक हो जाती है तो लागत आधारित मुद्रास्फीति होती है। उत्पादक अपनी लाभ सीमा के बचाव के लिए उत्पादों का मूल्य बढ़ा देते हैं।

- **आपूर्ति आघात**

  यह एक प्रकार की लागत आधारित मुद्रास्फीति है। वस्तुतः **आपूर्ति आघात मुद्रास्फीति** उन वस्तुओं और सेवाओं की लागत में अत्यिधिक वृद्धि है, जो अनिवार्य मानी जाती हैं और उनके स्थान पर दूसरी वस्तुएं मिलना मुश्किल होता है। आपूर्ति आघात मुद्रास्फीति का अक्सर रिसावकारी (ट्रिकलडाउन) प्रभाव होता है, जिससे बाजार के कई क्षेत्रों में परिवर्तन आ सकते हैं।

मुद्रास्फीति का उपचार क्या है ?

मांग और आपूर्ति दोनों ओर बेहतर उपाय करने से मुद्रास्फीति पर नियंत्राण किया जा सकता है।

थोक मूल्य सूचकांक (डब्लूपीआई)	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई)
• थोक बाजार के मूल्यों का सूचकांक • इसमें प्राथमिक वस्तुओं, खनिजों, ईधन और मशीनरी आदि के मूल्य शामिल होते हैं। • भारत में इसकी साप्ताहिक रूप से माप की जाती है।	• खुदरा बाजार के मूल्यों का सूचकांक • यह सूचकांक गृहस्थ लोगों/गृहस्थियों द्वारा खरीदी जाने वाली अनिवार्य वस्तुओं के समूह – खाना, ईंधन, प्रकाश व्यवस्था, आवास, कपड़ों आदि का प्रतिनिधित्व, करता है। • इसकी भारत में मासिक अधार पर माप की जाती है। • भारतमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की 3 समूहों– शहरी शारीरिक श्रम वाले कर्मचारियों से इतर कर्मचारियों, औद्योगिक कामगारों और कृषि श्रमिकों के लिए अलग से माप की जाती है।

अभ्यास

रिक्त स्थानों में भरने के लिए नीचे दिए शब्दों का प्रयोग करें।

1) मुद्रास्फीति को .... में सामान्य वृद्धि के रूप में वर्णित किया जाता है।
2) सरकार किसी .... के मूल्य परिवर्तनों को देख कर मुद्रास्फीति की माप करती है।
3) मुद्रास्फीति से समय बीतने पर धन की .... कम हो जाती है।
4) उत्पादन में कमी से आपूर्ति में कमी आती है और इस प्रकार मूल्यों में .... होती है।
5) लागत आधारित मुद्रास्फीति .... के मूल्यों में वृद्धि होने से होती है।

वस्तु –समूह	वृद्धि	क्रय शक्ति
मूल्य स्तरों	निविष्टियों	

उलझे–पुलझे शब्द

उलझे–पुलझे शब्द	संकेत	हल
णत्रऋ	बैंकों द्वारा उधारकर्ता को एक ब्याज दर पर दी गई राशि	
कर्थिआ पकाकर्यला	वह गतिविधि, जो धन अर्जित करने में मदद करती है।	
मसपार्शिवक	वह जमानत, जिसे बैंक धन उधार देने के लिए रखते हैं।	
तचब	वह धनराशि, जो खर्च नहीं हुई हो	
द्रातिमुस्फी	एक समयावधि के दौरान वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में निरंतर वृद्धि	
तगला तरिधाआ द्रातिमुस्फी	निविष्टियों के मूल्यों में वृद्धि के कारण मूल्यों में वृद्धि	
गमां तरिधाआ द्रातिमुस्फी	वस्तुओं की मांग में वृद्धि के कारण मूल्यों में वृद्धि	
तिस्फीरवअ	एक समयावधि के दौरान वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में सामान्य गिरावट	

1) मुद्रास्फीटति एक समयावधि के दौरान वस्तुओं और सेवाओं के समान्य ....में निरंतर वृद्धि है।

क) मूल्य — ख) मांग
ग) आपूर्ति — घ) उत्पादन

2 मांग आधारित मुद्रास्फीति तब होती है जब

क) समग्र मांग कम हो समग्र आपूर्ति से — ख) मांग कम हो आपूर्ति से
ग)समग्र मांग अधिक हो समग्र आपूर्ति से — घ) मांग अधिक हो समग्र से

3) लागत आधारित मुद्रास्फीति तब होती है जब

क) वस्तुओं के अंतिम मूल्य में वृद्धि हो — ख) श्रमिकों की पगारों (वेतनों) में वृद्धि हो
ग) निविष्टियों के मूल्यों में वृद्धि हो — घ) निविष्टियों के मूल्यों में कमी हो

विषय : गणित
कक्षा : नौ
सत्र : 1

बीमा शब्दावली मुकाबला

कार्यफलक – 1

वे शब्द लिखें, जिन्हें निम्नलिखित कथनों में वर्णित किया गया है।

(आप इस पहेली के नीचे दिए हुए शब्दों में से शब्द चुन सकते हैं।)

1) बीमा कंपनी द्वारा भुगतान करने से पहले किसी हानि के प्रारंभिक भाग के लिए पॉलिसी धारक द्वारा अपनी जेब से दी गई राशि....................................
2) आग और बिजली गिरने जैसे खतरों से किसी घर का बचाव............................
3) दुर्घटना, चोरी, क्षति, विनष्ट, अचानक..
4) विशेष शर्तों पर बचाव के लिए बीमाकर्ता को दी गई शुल्क.....................................
5) इस प्रकार के बीमा के लिए हाई स्कूल के अनेक छात्रों को अपने माता–पिता के साथ सुरक्षा प्राप्त होती है......................
6) उपभोक्ता, जिसने पॉलिसी खरीदी..
7) अपना वाहन चलाने के लिए लोगों को इस प्रकार का बीमा कराना चाहिए...
8) बीमा की शर्तें निर्दिष्ट करते हुए व्यक्ति और किसी बीमाकर्ता के बीच संविदा....................................
9) बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात बीमा पॉलसी धन प्राप्त करने वाले लोगों का हक........................
10) जोखिम से बचाव के लिए किसी व्यक्ति और बीमाकर्ता के बीच करार या व्यवस्था..............................
11) बीमारी या चोट लग जाने के समय आय प्रदान करने में सहायक बीमा..

कार्य फलक – 2

'हाँ' या 'नहीं' में जवाब दें

1) कोई मोटर वाहन चलाने के लिए कानून मोटर बीमा की आवश्यकता होती है ....
2) अधिकांश व्यक्तियों की वित्तीय योजनाओं में बीमा की एक छोटी भूमिका होती है...............
3) अधिकांश व्यक्ति या परिवार स्वास्थ्य सुरक्षा और चिकित्सा व्यय वहन कर सकते हैं...........
4) जीवन बीमा प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है..
5) अक्षमता बीमा केवल अक्षम लोगों के लिए ही आवश्यक है...
6) कोई फ्लैट या अपार्टमेंट किराए पर लेते समय किराएदार को किराएदार बीमा कराना चाहिए क्योंकि गृहस्वामी बीमा से किराएदार के सामान की सुरक्षा नहीं मिलेगी.........................
7) देयता, मोटर वाहन चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कानूनी रूप से देय बीमा की न्यूनतम राशि है..........
8) अधिकांश व्यक्तियों की वित्तीय योजनाओं में बीमा की बहुत बड़ी भूमिका होती है...............
9) स्वास्थ्य सुरक्षा की कीमतें अत्यधिक हैं और बड़े चिकित्सा उपचारों से किसी व्यक्ति की पूरी बचत समाप्त हो सकती है .. ..
10) जीवन बीमा केवल उन लोगों के लिए जरूरी है, जिनका कोई व्यक्ति उन पर वित्तीय रूप से निर्भर हो......
11) काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अक्षमता बीमा जरूरी है................
12) गृहस्वामी का बीमा भवन की बनावट की सुरक्षा करेगा परंतु किराए पर दिए गए अपार्टमेंट की अंतर्वस्तुओं की नहीं............ ....

विषय : गणित
कक्षा : नौ
सत्र : 2

परिचय : जोखिम और बीमा

जोखिम हमारे जीवन का अंतर्निहित भाग है। जोखिम का अर्थ है, हमारे नियंत्रण के बाहर की घटनाओं के कारण हानि होने की संभावना। वे घटनाएं, जिनसे ऐसी जोखिम होने की संभावना होती है, खतरे (पेरिल) कहलाती हैं। अचानक बाढ़, तूफान, बवंडर, भूकंप आने और प्रकृति के अन्य खतरों से मानव जीवन, घर, उद्योग, बुनियादी ढाँचा, और अन्य आस्तियाँ नष्ट हो सकती, खो सकती हैं या कार्य करने लायक नहीं रहती हैं। मानव निर्मित खतरों जैसे दुर्घटनाओं, आग और चोरी से भी जीवन और संपत्ति की हानि हो सकती है। सभ्यता के विकास के साथ लोगों ने प्रकृति की इन क्रूर ताकतों के साथ रहना सीख लिया और फिर जोखिम प्रबंधन के एक भाग के रूप में बीमा की अवधारणा का जन्म हुआ।

बीमा एक सामाजिक युक्ति है, जो हानियों को कम करने के लिए समूह के सदस्यों द्वारा दी गई निधियों का प्रयोग कर व्यक्तियों के जोखिमों को एक समूह में एकत्र कर देती है। बीमा योजना का तत्व है कि यहः

1) निधियों का संचय है,

2) जोखिमों का एक समूह है,

3) जोखिम को पूरे समूह पर अंतरित कर देती है।

बीमा व्यवसाय का जीवन बीमा और साधारण बीमा में वर्गीकरण किया जाता है। जीवन बीमा पॉलिसियाँ सुरक्षा की लाभकारी पॉलिसियाँ कहलाती हैं। ये पॉलिसियाँ, अर्जक सदस्य की मृत्यु हो जाने पर अप्रत्याशित परिस्थितियों में परिवार के बचाव का एक तरीका हैं। जीवन बीमा पॉलिसियों के कई प्रकार हैं, जो जीवन बीमा को दीर्घकालीन निवेश का एक सामान्य स्वरूप बनाते हुए बचत संचयन में मदद करती हैं। जीवन बीमा को निवेश के एक ऐसे विकल्प के रूप में भी देखा जाता है, जो जीवन के भिन्न–भिन्न चरणों में हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। साधारण बीमा उद्योग, आस्तियों और संम्पत्ति के लिए अप्रत्याशित गंभीर हानियों से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। बीमा कंपनियाँ संग्रह किए गए प्रीमियम को पूँजी बाजार में निवेश करती हैं और फिर अपनी जोखिम को या हानियों को पुनर्बीमा के माध्यम से विश्विभर में अंतरित/विस्तारित कर (फैला) देती हैं।

बीमा कैसे कार्य करता है

बीमा बड़ी संख्याओं के कानून पर कार्य करता है, जहाँ कुछ लोगों की हानियाँ बहुत से लोगों द्वारा बाँट ली जाती हैं।

उदाहरण 1

एक गाँव में रु.20,000/– प्रति घर के मूल्य के 400 मकान हैं। हर वर्ष औसत रूप से 4 मकान आग से जल जाते हैं, जिससे कुल रु.80,000/– की हानि होती है।

मकानों की संख्या	400
प्रत्येक मकान का मूल्य	रु.20,000
हर वर्ष आग से जलने वाले मकानों की संख्या (औसतन)	4
कुल हानि (4 मकान X रु.20,000)	रु.80,000
400 मकान मालिकों द्वारा रु.80,000/– की हानि की प्रतिपूर्ति के लिए दी गई अंशदान की राशि : 80000 / 400	रु.200

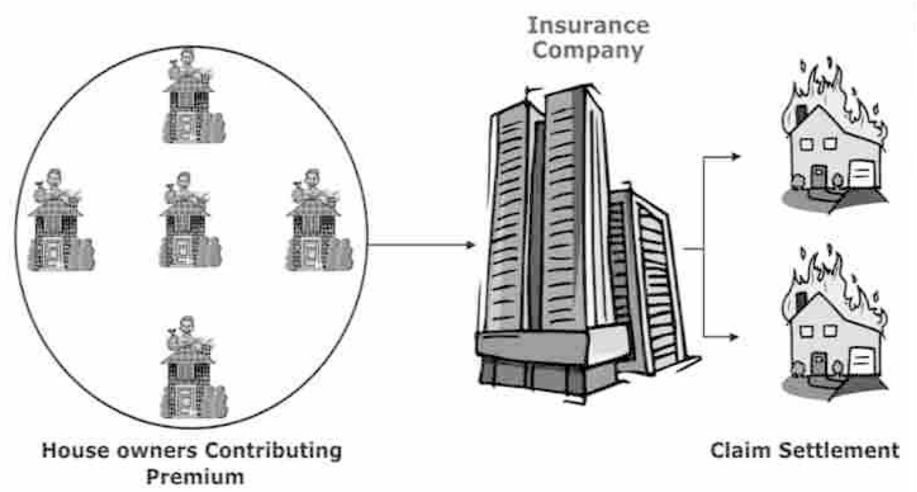

यदि सभी 400 मकान मालिक एक साथ आ जाएं और प्रत्येक मकान मालिक रु.200/– अंशदान करे तो सामान्य संचित निधि (पूल) रु.80,000/– हो जाएगी। यह राशि उन 4 मकान मालिकों में से प्रत्येक को रु.20,000/– का भुगतान करने के लिए पर्याप्त है, जिनके मकान जल गए हैं। इस प्रकार 4 मकान मालिकों की जोखिम 400 मकानों/मकान मालिकों पर विस्तारित हो जाती है।

परंतु क्या यह रु.200/– की छोटी सी राशि वास्तव में प्रीमियम है? इस प्रश्न का उत्तर है – नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें एक छोटी लाभ सीमा के साथ, प्रबंधन की सभी लागत और व्यय जोड़ने होंगे।

उदाहरण 2

1000 घरों वाले एक कस्बे में आमतौर पर हर वर्ष 10 लोगों की मृत्यु हो जाती है। यद्यपि यह अनुमान तो है कि हर वर्ष 10 लोग मृत्यु के शिकार होते हैं परंतु यह पता नहीं है कि कौन दस लोग शिकार होंगे। यह कल्पना करें कि परिवार के अर्जक सदस्य की मृत्यु के कारण प्रत्येक परिवार को रु.2 लाख का निश्चित मुआवजा दिया जाना है।

व्यक्तियों की संख्या1	1000
प्रत्येक व्यक्ति का आर्थिक मूल्य	रु.2,00,000
उन व्यक्तियों की संख्या, जिनकी वर्ष में मृत्यु की आशंका है	10
कुल हानि (10 व्यक्ति X रु.2,00,000)	रु.20,00,000
1000 लोगों द्वारा रु.20,00,000/– की हानि की प्रतिपूर्ति के लिए दी गई अंशदान की राशि रू 20,00,000/1,000	रु.2,000

अतः केवल रु. 2,000/– प्रति परिवार के अंशदान से मृत्यु के मामले में 1000 लोगों को रु.2,00,000 भुगतान का आश्वासन मिल जाता है।

उलझे–पुलझे शब्द

उलझे–पुलझे शब्द	संकेत	हल
मजोखि	क्षति या हानि की संभावना	
सीपॉलि माबी	बीमा संविदा का दस्तावेज	

1) ....का अर्थ हमारे नियंत्रण के बाहर की प्रतिकूल घटनाओं के कारण हानि होने की संभावना है।

क) जोखिम　　ख) खतरा
ग) हानि　　घ) दुर्घटना

2) वे घटनाएं, जो जोखिमों उत्पन्न करती हैं, ... कहलाती हैं।

क) जोखिमें　　ख) खतरे
ग) हानियाँ　　घ) दुर्घटनाएं

3) बीमा योजना का तत्व है कि यह ....

क) निधियों का संचय है　　ख) जोखिमों का एक समूह है,
ग) जोखिम को समूह पर अंतरित कर देती है।
घ) उपर्युक्त सभी

4) .... एक ऐसी व्यवस्था हैं, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति उस समय के लिए आय का जारी रखना सुनिश्चित कर सकता है, जब कतिपय घटनाएं जीविका अर्जन की उसकी क्षमता भंग कर देती हैं।

क) जोखिम　　ख) बीमा
ग) खतरे　　घ) हेजिंग

5) बीमा व्यवसाय .... बीमा और साधारण बीमा में वर्गीकृत किया जा सकता है।

क) जीवन　　ख) मोटर
ग) वैयक्तिक　　घ) कार

वर्ग पहेली

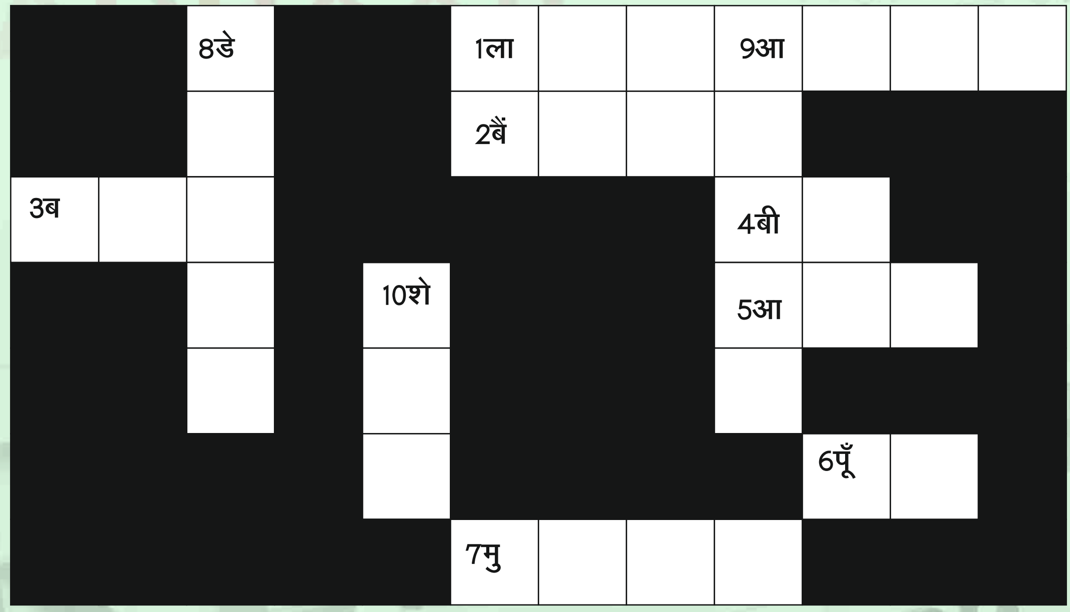

बाँये से दाँये

1. लागत मूल्य में वृद्धि होने के कारण होने वाली मुद्रास्फीति।
2. वह ब्याज दर, जिस पर केंद्रीय बैंक दूसरे बैंकों को उधार देता है।
3. वह युक्ति, जिससे व्यक्ति अपने धन का प्रबंध करता है।
4. ऐसी संविदा, जो हानि की परिस्थिति में मुआवजे की गारंटी देती है।
5. वह कार्ड, जो यूआईडीएआई द्वारा भारत में सभी निवासियों को जारी किया जाता है।
6. मालिक द्वारा किसी व्यापार में निवेश किया गया धन
7. सामान्य वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में निरंतर वृद्धि

ऊपर से नीचे

8. धन आहरण हेतु प्रयुक्त बैंक कार्ड
9. भारत का शीर्ष बैंक
10. वह छोटा भाग, जिसमें कंपनी की पूँजी विभाजित होती है।

आओ और वर्ग पहेली
हल करें मुनाफ

खेल–खेल में सीखना
कितना अच्छा लगता है !

■	1ब			■	5आ	■
6मु	■	■	■	■		■
	■	2डि				■
	■	■	■	■	■	7पें
	■	3जो			■	
■	■	■	■	■	■	
4प						■

बाँये से दाँये

1. अपने धन का प्रबंध करने के लिए व्यक्तियों और परिवारों की मदद के लिए एक योजना युक्ति
2. एक विशेष दर पर अपने निवेशकों से धन संग्रह करना
3. व्यक्तियों के नियंत्रण के बाहर की प्रतिकूल घटनाओं के कारण हानि की आशंका।
4. ऐसे खर्च, जो हर महीने बदलते हैं।

ऊपर से नीचे

5. एक विशिष्टर कार्ड
6. सामान्य मूल्यों में .... वृद्धि।
7. यह एक संविदा है, जिसमें सामान्यतः सेवा से निवृत्त होने पर नियमित रूप से नियत राशि का भुगतान किया जाता है।

नोट:

प्रस्तुति

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
दिल्ली
असतो मा सद्गमय

राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केन्द्र
National Centre for Financial Education